रजिस्ट्री सं० डी-222 REGISTERED No. D-222

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 49] नई दिल्ली, शनिवार, दिसम्बर 5, 1970 (अग्रहायण 14, 1892)
No. 49] NEW DELHI, SATURDAY, DECEMBER 5, 1970 (AGRAHAYANA 14, 1892)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग III—खण्ड 4

(PART III—SECTION 4)

विविध निकायों द्वारा जारी की गई विविध अधिसूचनाएं जिसमें अधिसूचनाएं, आदेश, विज्ञापन और सूचनाएं सम्मिलित हैं

(Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies)

स्टेट बैंक आफ इंडिया

केन्द्रीय कार्यालय

सूचना

बम्बई, दिनांक 14 नवम्बर 1970

एस० बी० एस० सं० 2/1970—इसके द्वारा सामान्य सूचना दी जाती है कि स्टेट बैंक आफ इंडिया ने, स्टेट बैंक आफ इंडिया (सहायक बैंक्स) एक्ट 1955 के सेक्शन 25 के उप-सेक्शन (I) के वर्ग (स) के अन्तर्गत, रिज़र्व बैंक आफ इंडिया के साथ विचार-विनिमय करने के बाद, श्री प्रताप सिंह बापन, आई०ए०एस० (सेवा-मुक्त), 2-रेस कोर्स रोड, उत्तर तुकोगंज, इन्दौर को श्री सोहन लाल संथी के निधन से हुए रिक्त पद पर, दिनांक 14 नवम्बर 1970 से 13 नवम्बर 1973 तक (दोनों दिन सम्मिलित), तीन वर्ष की अवधि के लिए, स्टेट बैंक आफ इंदौर के संचालक के पद पर नियुक्त किया।

आर० के० तलवार,
चेयरमैन

भारतीय औद्योगिक विकास बैंक

बम्बई, दिनांक 18 नवम्बर 1970

औद्योगिक वित्त निगम नियमावली, 1965 के नियम 4 के अनुसरण में, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक इसके ज़रिये यह अधिसूचित करता है कि भारतीय औद्योगिक वित्त निगम ने विकास बैंक के पूर्व अनुमोदन के साथ उन पिछड़े जिलों/ क्षेत्रों की परियोजनाओं के लिए जिन्हें केन्द्रीय सरकार ने भारतीय औद्योगिक वित्त निगम से मिलने वाली रियायती वित्तीय सहायता के योग्य माना है, निगम द्वारा मंजूर किये जाने वाले रुपया ऋणों पर वार्षिक 7½ प्रतिशत (साढ़े सात प्रतिशत) की ब्याज-दर निर्धारित की है; किन्तु ठीक समय पर मूल राशि की वापसी अदायगी और ब्याज की अदायगी किये जाने पर ब्याज दर में वार्षिक ½% (एक प्रतिशत का आधा अंश) की कटौती की जाएगी (अर्थात् वार्षिक सात प्रतिशत की दर लागू होगी)।

औद्योगिक वित्त निगम नियमावली, 1965 के नियम 4 के अनुसरण में, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक इसके ज़रिए यह अधिसूचित करता है कि उक्त निगम ने विकास बैंक के पूर्व अनुमोदन के साथ अपने द्वारा मंजूर किये गये या मंजूर किये जाने वाले रुपया ऋणों पर वार्षिक 9% (नौ प्रतिशत) की ब्याज-दर निर्धारित की है। किन्तु ठीक समय पर मूल राशि की वापसी अदायगी और ब्याज की अदायगी किये जाने पर ब्याज-दर में वार्षिक ½% (एक प्रतिशत का आधा अंश) की कटौती की जाएगी (अर्थात् वार्षिक 8½% की वास्तविक दर लागू होगी)।

एस० एल० एन० सिन्हा, जनरल मैनेजर

श्रम, रोजगार और पुनर्वास मंत्रालय

(श्रम और रोजगार विभाग)

खान सुरक्षा महानिदेशालय

धनबाद, दिनांक 22 अक्तूबर 1970

सं० बोर्ड/मेट/11897/70—मेटालीफेरस खान विनियम 1961 के विनियम 13(4) के अन्तर्गत मैनेजर को प्रमाण पत्र मंजूर करने के लिए परीक्षा संचालन के उपविधि (अधिसूचना सं० बोर्ड/एम० एम० 20000/63 दिनांक 24 जून 1963 को प्रकाशित हुआ है) में निम्नलिखित परिवर्तन किया जा रहा है :–

क्रम सं०	उपविधि संख्या	प्रचलित उपविधि	परिवर्तित उपविधि
1	2	3	4
(1)	1(4)	किसी प्रार्थी का व्यवहारिक अनुभव सिर्फ परीक्षा प्रारम्भ होने की तिथि के 60 दिन पहले तक का मान्य होगा ।	किसी प्रार्थी का व्यवहारिक अनुभव सिर्फ परीक्षा प्रारम्भ होने की तिथि के 30 दिन पहले तक का मान्य होगा ।

सं० बोर्ड/मेट/11898/70—मेटालीफेरस खान विनियम 1961 के विनियम 13 (4) के अन्तर्गत मैनेजर को प्रमाण पत्र मंजूर करने के लिए जो सिर्फ पोखरीया खादानों में काम करने वालों के लिए सीमित किया गया था, परीक्षा संचालन के उपविधि (अधिसूचना संख्या बोर्ड/एम० एम०/3497/67, दिनांक 5 अप्रैल 1967 को प्रकाशित हुआ है) में निम्नलिखित परिवर्तन किया जा रहा है:—

क्रम सं०	उपविधि संख्या	प्रचलित उपविधि	परिवर्तित उपविधि
1	2	3	4
1	1(4)	किसी प्रार्थी का व्यवहारिक अनुभव सिर्फ परीक्षा प्रारम्भ होने की तिथि के 60 दिन पहले तक का मान्य होगा ।	किसी प्रार्थी का व्यवहारिक अनुभव सिर्फ परीक्षा प्रारम्भ होने की तिथि के 30 दिन पहले तक का मान्य होगा ।

सं० बोर्ड/मेट/11899/70—मेटालीफेरस खान विनियम 1961 के विनियम 13(4) के अन्तर्गत सर्वेयर को प्रमाण पत्र मंजूर करने के लिए परीक्षा संचालन के उपविधि (अधिसूचना सं० बोर्ड/एम० एम०/20001/63 को प्रकाशित हुआ है) में निम्नलिखित परिवर्तन किया जा रहा है :–

क्रम सं०	उपविधि संख्या	प्रचलित उपविधि	परिवर्तित उपविधि
1	2	3	4
1	1	किसी प्रार्थी का व्यवहारिक अनुभव सिर्फ परीक्षा प्रारम्भ होने की तिथि के 60 दिन पहले तक का मान्य होगा ।	किसी प्रार्थी का व्यवहारिक अनुभव सिर्फ परीक्षा प्रारम्भ होने की तिथि के 30 दिन पहले तक का मान्य होगा ।

सं० बोर्ड/मेट/11900/70—मेटालीफेरस खान विनियम 1961 के विनियम 13(4) के अन्तर्गत सर्वेयर को प्रमाण पत्र मंजूर करने के लिए जो सिर्फ पोखरीया खादानों में काम करने वालों के लिए सीमित किया गया था, परीक्षा संचालन के उपविधि (अधिसूचना संख्या बोर्ड/एम० एम०/3498/67 को प्रकाशित हुआ है) में निम्नलिखित परिवर्तन किया जा रहा है:—

क्रम सं०	उपविधि संख्या	प्रचलित उपविधि	परिवर्त्तित उपविधि
1	2	3	4
1	1	किसी प्रार्थी का व्यवहारिक अनुभव सिर्फ परीक्षा प्रारम्भ होने की तिथि के 60 दिन पहले तक का मान्य होगा ।	किसी प्रार्थी का व्यवहारिक अनुभव सिर्फ परीक्षा प्रारम्भ होने की तिथि के 30 दिन पहिले तक का मान्य होगा ।

रा० गो० देव, अध्यक्ष
(बोर्ड आफ मेटालीफेरस) माईनिंग परीक्षा समिति
एवं खान सुरक्षा महानिदेशक

निर्बन्धनकारी व्यापार प्रथा (जांच) विनिमय, 1970

एकाधिकार तथा निर्बन्धनकारी व्यापार प्रथा अधिनियम, 1969 (1969 का 54) की धारा 12, 18 और 66 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का तथा उसे इस निमित सशक्त बनाने वाली सभी अन्य शक्तियों का प्रयोग करते हुए आयोग एतद्द्वारा निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात् :–

1. ये विनियम निर्बन्धनकारी व्यापार प्रथा (जांच) विनियम, 1970 के रूप में उद्धृत किए जा सकेंगे और ये तुरन्त प्रवृत होंगे ।

2. साधारण खण्ड अधिनियम, 1897 इन विनियमों के निर्वचन को लागू होगा और इन विनियमों में प्रयुक्त किन्तु अपरिभाषित शब्दों और पदों के वे ही अर्थ हैं, जो उन्हें उस अधिनियम में दिए गए हैं।

3. इन विनियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो :—

(क) "अधिनियम" से एकाधिकार और निर्बन्धनकारी व्यापार प्रथा अधिनियम, 1969 (1969 का 54) अभिप्रेत है ;

(ख) "करार" से ऐसा कारार अभिप्रेत है, जिसकी विशिष्टियां अधिनियम की धारा 35 के अधीन रजिस्ट्रीकृत की गई हैं या रजिस्ट्रीकृत की जाने के लिए अपेक्षित हैं;

(ग) "सचिव" से इस आयोग द्वारा नियुक्त सचिव अभिप्रेत है ;

(घ) किसी करार के किसी पक्षकार के प्रति निर्देश में किसी ऐसे व्यक्ति के प्रति निर्देश सम्मिलित है, जिसे अधिनियम के प्रयोजनों के लिए पक्षकार समझा गया है ;

(ङ) सिविल प्रक्रिया संहित के उपबन्धों को लागू करते समय, "न्यायालय" के प्रति निर्देश से इस आयोग के प्रति निर्देश समझा जाएगा और इसी प्रकार "वादी" या "प्रतिवादी" के प्रति निर्देश से पक्षकारों के प्रति निर्देश समझा जाएगा ;

(च) "वादों या अर्जियों" के प्रति निर्देश अधिनियम के अधीन समुचित कार्यवाहियों के प्रति निर्देश समझे जाएंगे।

4. इस अधिनियम की धारा 10(क)(i) के अधीन परिवाद में ऐसे परिवादित तथ्य अन्तर्विष्ट होंगे, जिनसे कोई निर्बन्धनकारी व्यापार प्रथा बनती है, और जहां कि ऐसा परिवाद किसी व्यापार या उपभोक्ता संगम द्वारा किया गया है, वह संगम के किसी पदाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित होगा, और 25 या अधिक उपभोक्ताओं द्वारा किया गया परिवाद प्रत्येक परिवादी द्वारा हस्ताक्षरित होगा। प्रत्येक परिवाद उस मामले के तथ्यों से अवगत पक्षकार या पक्षकारों द्वारा परिवाद के अन्त में सत्यापित किया जाएगा। सत्यापित करने वाला व्यक्ति यह विनिर्दिष्ट करेगा कि किन किन तथ्यों का सत्यापन वह स्वयं अपनी जानकारी के आधार पर करता है और किन किन तथ्यों का सत्यापन वह प्राप्त और विश्वसनीय रूप से सही जानकारी के आधार पर करता है। सत्यापन करने वाले व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा सत्यापन हस्ताक्षरित होगा, और उसमें वह तारीख जिसको और वह स्थान जहां पर वह हस्ताक्षरित किया गया था, कथित होगा।

5. इसी प्रकार केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार द्वारा किए गए निर्देश में भी ऐसे तथ्य अन्तर्विष्ट होंगे, जिनसे मिल कर निर्बन्धनकारी व्यापार प्रथा बनती है और सरकार के ऐसे अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित और सत्यापित होंगे, जो उपसचिव से नीचे की पंक्ति का न हो और वे विनियम 4 में उपवर्णित रीति में सत्यापित किए जाएंगे।

6. धारा 10(क)(iii) के अधीन रजिस्ट्रार द्वारा किए गए आवेदन में ऐसे तथ्य अन्तर्विष्ट होंगे, जिनसे मिलकर निर्बन्धनकारी व्यापार-प्रथा बनती है और यदि वह किसी ऐसे करार के सम्बन्ध में है, जिसका रजिस्ट्रीकरण उसके यहां हुआ है, तो उसमें उस करार के ऐसे भाग उपवर्णित होंगे, जो परिवादित तथ्यों को प्रकट करने के लिए आवश्यक हों और वह विनियम 4 में निर्दिष्ट रीति से रजिस्ट्रार द्वारा हस्ताक्षरित और सत्यापित किया जाएगा।

कार्यवाहियों का संस्थित किया जाना

7. अधिनियम की धारा 37(1) के अधीन कार्यवाही उस व्यक्ति को, जिसके विरुद्ध निर्बन्धनकारी व्यापार प्रथा के अभिकथन किए गए हैं, सूचना द्वारा शुरू की जाएगी जिसमें यह कथित होगा कि यह आयोग प्रथा की जांच करने की प्रस्थापना करता है।

8. सूचना ऐसे एक करार या अनेक करारों के सम्बन्ध में हो सकेगी जो आयोग को इस प्रकार संबंधित प्रतीत हों जिससे यह वांछनीय हो जाए कि उन पर एक ही कार्यवाही में विचार किया जाए।

9. सूचना पर आयोग की मुद्रा होगी और सचिव द्वारा हस्ताक्षरित होगी और तामील के पश्चात् वापस आने पर सचिव द्वारा फाइल की जाएगी।

10. विनियम 13 के अध्यधीन आयोग उस करार, या उन करारों के, जिससे या जिनसे सूचना सम्बन्धित है, सभी पक्षकारों पर निर्देश-सूचना की प्रति की तामील करवाएगा और ऐसे सभी पक्षकार कार्यवाही के प्रत्यर्थी होंगे।

11. यदि आयोग ऐसा ठीक समझे तो वह सूचना की प्रति की तामील किसी व्यापार संगम पर, जिसके सदस्य या जिसके सदस्यों में से कोई किसी करार के, जिससे सूचना संबंधित है, पक्षकार है, इस बात के होते हुए भी कि संगम स्वयं किसी ऐसे करार का पक्षकार नहीं है, कर सकता है, और तदनुसार व्यापार संगम को निर्देश सूचना का प्रत्यर्थी बनाया जाएगा; किन्तु इससे संगम के सदस्यों का प्रतिनिधित्व संगम द्वारा किए जाने के लिए विनियम 13 के अधीन किए गए किसी आवेदन पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

12. आयोग निदेश देगा कि सुनवाई की सूचना की संक्षिप्त विशिष्टयों ऐसे समाचारपत्रों में, जिनके संबंध में आयोग निदेश करे, प्रकाशित की जाएंगी।

प्रतिनिधित्व आदेश

13. जहां अनेक व्यक्ति-वर्ग का इस कारण समान हित है कि वे सब एक ही करार के पक्षकार हैं या उन्होंने सारतः एक जैसे करार किए हैं, वहां आयोग यह आदेश (जिसे इसमें इसके पश्चात् "प्रतिनिधित्व आदेश" कहा गया है) कर सकेगा कि वर्ग, या उसके किन्हीं सदस्यों, का प्रतिनिधित्व ऐसे प्रतिनिधि-प्रत्यर्थियों द्वारा किया जाएगा जिनके संबंध में आयोग निदेश करे, जो उस वर्ग या व्यापार संगम या संगमों के, जिनके सभी सदस्य हों या सदस्यों में से कुछ हों, व्यष्टिक सदस्य हैं, या भागतः एक और भागतः अन्य हैं; और सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 1 नियम 8 के अधीन अधिकथित

प्रक्रिया यथासम्भव इस मामले में इस प्रकार लागू की जा सकेगी मानों यह इन विनियमों में निगमित की गई हों।

पक्षकारों को उपसंजाति

14. प्रत्येक प्रत्यर्थी, जो चाहता है कि कार्यवाही में उसकी सुनवाई की जाए उस पर सुनवाई की सूचना की प्रति तामील होने के चौदह दिन के भीतर आयोग के कार्यालय में सचिव को ज्ञापन की पांच प्रतियां जिसमें यह कथित होगा कि प्रत्यर्थी कार्यवाही में सुनवाई कराना चाहता है और जिसमें उसके अधिवक्ता का नाम और भारत में वह पता होगा जिस पर उसे दस्तावेजों की तामील की जा सके, परिदत्त करते हुए उपसंजात होगा और तदुपरि सचिव ज्ञापन की एक प्रति, जो आयोग की मुद्रा से मुद्रांकित होगी, रजिस्ट्रार को भेजेगा।

कार्यवाही के विस्तार, पक्षकारों और स्थान में परिवर्तन

15. जहां सुनवाई की सूचना बहुत से करारों को लागू होती है वहां कोई प्रत्यर्थी सूचना मिलने पर उपसंजात होने के चौदह दिन के भीतर आयोग को यह आवेदन कर सकेगा कि वह सूचना में से किसी ऐसे करार को जिसका कि वह पक्षकार है इस आधार पर अपवर्जित कर दे कि करार उन अन्य करारों से, जिन पर सूचना लागू होती है, या उन करारों में से कुछ से, इस प्रकार संबंधित नहीं है जिससे यह वांछनीय हो जाए कि उन सब पर एक ही कार्यवाही में विचार किया जाना चाहिए, और आयोग आवेदन की सुनवाई पर, सूचना में उसमें से किसी करार या किन्ही करारों को अपवर्जित करके संशोधन कर सकेगा, और सभी ऐसे पारिणामिक निदेश देगा जैसा वह आवश्यक समझे, जिसमें यह निदेश भी होगा कि किसी प्रत्यर्थी के बारे में, जो प्रश्नगत करार का पक्षकार है यह समझा जाए मानो वह उपसंजात नहीं हुआ था; और सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 1, नियम 10(2) के उपबन्ध जहां तक समुचित हों, इस प्रकार लागू किए जाएंगे मानो उन्हें इन नियमों में सम्मिलित किया गया हो।

मामले का कथन, उत्तर और प्रत्युत्तर

16. प्रत्येक प्रत्यर्थी जो उपसंजात हुआ हो अपनी उपसंजाति के छह सप्ताह के भीतर अपने मामले का कथन (चार प्रतियां) रजिस्ट्रार को परिदत्त करेगा और सचिव के पास फाइल करेगा जिसमें निम्नलिखित सम्मिलित होंगी :—

(क) अधिनियम की धारा 38 के उपबन्धों की विशिष्टियां जिन पर उसका निर्भर करना आशयित है ;

(ख) उन तथ्यों और मामलों की विशिष्टयां जिन के बारे में उसका अभिकथन है कि उनके आधार पर उसे उन उपबन्धों पर निर्भर करने का हक है, और जिसके साथ कार्यवाही से सुसंगत सभी उन दस्तावेजों की, जो उसके कब्जे या शक्ति में हैं या रहे हैं ; यह उपदर्शित करते हुए कि उन दस्तावेजों (यदि कोई हों) में से किन के लिए विशेषाधिकार का दावा करता है, और दावे के आधार क्या हैं, सूची होगी।

17. प्रकटीकरण से संबंधित विनियम 29 के उपबन्धों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना प्रत्येक प्रत्यर्थी, रजिस्ट्रार से उस निमित्त सूचना प्राप्त करने के पश्चात् सात दिन के भीतर उसके निरीक्षण के लिए पूर्वोक्त सूची में विनिर्दिष्ट दस्तावेज या उनमें से ऐसे दस्तावेज जो सूचना में विनिर्दिष्ट हों पेश करेगा और उसे उनकी प्रतियां बनाने की अनुज्ञा देगा;

परन्तु इसमें की कोई भी बात प्रत्यर्थी के उक्त दस्तावेजों में से किसी के लिए विशेषाधिकार का दावा करने के प्राधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगी।

18. जहां मामले का कथन परिदत्त किया जाए, वहां प्रत्येक प्रत्यर्थी के द्वारा मामले का कथन प्रदत्त किए जाने की काल सीमा की समाप्ति के पश्चात् छः सप्ताह के भीतर रजिस्ट्रार उत्तर प्रदत्त करेगा। जहां एक से अधिक प्रत्यर्थी हों वहां रजिस्ट्रार एक संयुक्त उत्तर, या प्रत्येक को अथवा प्रत्यर्थियों में से केवल कुछ को पृथक उत्तर, शेष को संयुक्त उत्तर देकर या दिए बिना, परिदत्त कर सकेगा। प्रत्येक उत्तर की एक प्रति उस प्रत्यर्थी को या उन प्रत्यर्थियों को परिदत्त की जाएगी जिसके या जिनके कथन के प्रति यह निदेशित हो और इनकी चार प्रतियां सचिव के पास फाइल की जाएंगी।

19. जहां किसी प्रत्यर्थी का आशय उन तथ्यों या बातों पर निर्भर करने का है जो, यदि उन्हें उठाया न जाए तो, संभाव्यतः रजिस्ट्रार को आश्चर्य होगा या तथ्य के ऐसे विवाद्यकों को उठाएंगे जो मामले के कथन या उत्तर से न उठते हों, वहां वह उत्तर के परिदत्त किए जाने के 28 दिन के भीतर रजिस्ट्रार को एक प्रत्युत्तर परिदत करेगा और उसकी चार प्रतियां सचिव के पास फाइल करेगा।

20. सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश XI के उपबंध यथाशक्य इस प्रकार लागू किए जाएंगे मानो वे इन विनियमों में सम्मिलित कर लिए गए थे।

21. किसी पक्षकार के आवेदन पर आयोग किसी ऐसे मामले के कथन, उत्तर या प्रत्युत्तर को पूर्ण रूप से या उसके किसी भाग को काट सकेगा जो आयोग को कुछ, तंग करने वाला या विसंगत प्रतीत होता हो और उस दशा में मामले का नया या संशोधित, कथन, उत्तर या प्रत्युत्तर प्रदत्त करने के लिए और आगे समय अनुज्ञात कर सकेगा और सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश VI नियम 16 के उपबंध उसी प्रकार लागू होंगे, मानो यह इसमें सम्मिलित कर लिए गए थे।

निदेश की सूचना आदि का संशोधन

22. सुनवाई की सूचना , मामले के कथन, उत्तर या प्रत्युत्तर को—

(क) आयोग की इजाजत लेकर किसी भी समय और;

(ख) ऐसी इजाजत बिना निदेशों के लिए आवेदन की सुनवाई से पूर्व किसी समय यदि—.

(i) निदेश की सूचना या उत्तर की दशा में रजिस्ट्रार और यथास्थिति, सभी प्रत्यर्थी जो उपसंजात हुए हों या जिनके मामले के कथन के प्रति उत्तर निदेशित हो सहमत हों तो; या

(ii) मामले के कथन या प्रत्युत्तर की दशा में, रजिस्ट्रार और सभी प्रत्यर्थी, जो संशोधन की ईप्सा करते हों, सहमत हों तो;

संशोधित किया जा सकेगा और यथा संशोधित सूचना या अन्य दस्तावेज की एक प्रति इतने समय के भीतर, जो आयोग द्वारा अनुज्ञात किया जाए या जिसपर संबंधित पक्षकारों के बीच सहमति हो, सभी विपक्षी पक्षकारों को परिदत्त की जाएंगी और सचिव के पास फाइल की जाएगी और सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 153 के उपबंध भी लागू होंगे ।

पक्षकारों का संयोजन और समेकन

23. रजिस्ट्रार, और कोई प्रत्यर्थी जो उपसंजात हुआ हो, किसी भी समय आयोग को इस आदेश के लिए कि किसी व्यक्ति को जो पहले से ही पक्षकार नहीं है कार्यवाहियों में प्रत्यर्थी के रुप में जोड़ा जाए और आवेदन की सूचना अन्य सभी पक्षकारों को और उस व्यक्ति को, जिसके जोड़े जाने की ईप्सा है, देगा और सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 1 के उपबंध यथाशक्य इन कार्यवाहियों को लागू किए जाएंगें ।

निदेशों के लिए आवेदन

24. प्रत्येक प्रत्यर्थी द्वारा उत्तर दिए जाने के सात दिन के पश्चात या ऐसा करने के लिए समय के अवसान के पश्चात रजिस्ट्रार, अन्तिम सुनवाई के लिए तैयार की गई बातों पर विचार करने का अवसर देने की दृष्टि से, निदेश देने के लिए, आयोग को आवेदन (तीन प्रतियों सहित) करेगा ताकि—

(क) उन सभी मामलों पर जिन पर अन्तर्वर्ती आवेदनों पर विचार किया जा सकता है और पहले विचार नहीं किया जा चुका है, यथा सम्भव विचार किया जाए; और

(ख) कार्यवाही के भाव अनुक्रम के बारे में ऐसे निदेश दिए जा सकें जो उनके न्यायोचित, शीघ्रता से और किफायत से निपटारा करने के लिए सर्वाधिक अनुकूल प्रतीत हों ;

और आयोग आवेदन की सुनवाई के लिए तारीख नियत करेगा ।

25. जब निदेशों के लिए किए गए आवेदन की सुनवाई होनी हो तब उसके इक्कीस दिन से अन्यून पूर्व रजिस्ट्रार आवेदन की सूचना की तामील प्रत्येक उस प्रत्यर्थी ऐसे प्रत्यर्थी पर करेगा जो उपसंजात हुआ हो (किसी ऐसे प्रत्यर्थी को छोड़कर जिसे कार्यवाहीं में और आगे भाग लेने से अपवर्जित कर दिया गया हो) और अपनी सूचना में उन निदेशों की पूरी विशिष्टियां अधिकथित करेगा जिनके लिए उसका आवेदन प्रकाशित है । साथ ही सूचना की एक प्रति सचिव के पास फाइल की जाएगी ।

26. प्रत्येक प्रत्यर्थी जिस पर अन्तिम पूर्वगामी विनियम के अधीन सूचना की तामील की गई हो, सूचना की तामील के पश्चात चौदह दिन के भीतर रजिस्ट्रार को एक सूचना तामील करेगा जिसमें ऐसे निदेश, जो वह चाहता हो, जहां तक वे उन निदेशों से भिन्न हों जिनके लिए रजिस्ट्रार ने आवेदन किया हो विनिर्दिष्ट हों और साथ ही सूचना की प्रति सचिव के पास फाइल सकेगा ।

27. आवेदन की सुनवाई पर, आयोग ऐसे निदेश देगा जिन्हें वह, विनियम 24 में वर्णित प्रयोजनों की प्राप्ति के लिए आवश्यक समझे और पूर्वगामी की व्यापकता पर कोई प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना—

(क) सुनवाई की सूचना या मामले के किसी विवरण, उत्तर या प्रत्युत्तर के संशोधन;

(ख) और आगे की तथा उसके अच्छी विशिष्टियों के देने;

(ग) परिप्रश्नों के देने;

(घ) किसी तथ्य या दस्तावेजों के स्वीकार करने;

(ङ) किसी दस्तावेज के प्रकटीकरण या और आगे प्रकटीकरण;

(च) किसी दस्तावेज के साक्ष्य में स्वीकार करने;

(छ) उस पद्धति जिसमें अन्तिम सुनवाई में साक्ष्य दिया जाएगा;

(ज) अन्तिम सुनवाई के पूर्व किसी साक्ष्य के लेने और अभिलेखन, जिसमें उस प्रयोजन के लिए आयुक्त की नियुक्ति भी सम्मिलित है;

(झ) किसी माल का उत्पादन करने या प्रदाय करने में या माल के विनिर्माण की कोई प्रक्रिया प्रयोग करने में किसी प्रत्यर्थी (या, यथास्थिति, उस वर्ग के किसी सदस्य द्वारा जिसका प्रतिनिधित्व, प्रतिनिधि प्रत्यर्थी द्वारा किया जाए) द्वारा उपगत खर्च के अन्वेषण और उस रीति जिसमें ऐसे अन्वेषण का परिणाम आयोग के समक्ष अन्तिम सुनवाई में लाया जाना है; के बारे में ऐसे निदेश दे सकेगा जैसा वह ठीक समझे ।

28. अन्तर्वर्ती आवेदन पर कार्यवाही किए जाने योग्य किसी विषय के बारे में, निदेशों के लिए आवेदन के पश्चात और अन्तिम सुनवाई के पूर्व दिया गया कोई आवेदन, स्पष्ट दो दिनों की सूचना द्वारा, विरूद्ध पक्ष को वह आधार कथित करते हुए जिनके आधार पर यह दिया गया हो, निदेशों के लिए आवेदन के अधीन दिया जाएगा ।

दस्तावेजों को पेश करने की सूचना और दस्तावेजों तथा तथ्यों को स्वीकार करना, दस्तावेजों तथा परिप्रश्न का प्रकटीकरण :—

29. अधिनियम की धारा 12(i) (ख) में उपबंधित के अध्यधीन सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश XI, आदेश XII और आदेश XIII के उपबंध यथाशक्य वैसे ही लागू किए जाएंगे मानो वे इसमें सम्मिलित हों ;

अन्तर्वर्ती आवेदन

30. वहां के सिवाय जहां इन विनियमों में अन्यथा उपबन्ध हो या आयोग अन्यथा निदेश दे, प्रत्येक अन्तर्वर्ती आवेदन, रजिस्ट्रार को या, यथास्थिति, आवेदन के विषय में संबन्ध प्रत्येक प्रत्यर्थी को, सात दिन से अन्यून की सूचना देने पर, दिया जाएगा, और सूचना में निदेशों और ईप्सित आदेश की विशिष्टियां सम्मिलित होंगी ।

साक्ष्य :

31. अधिनियम की धारा 12 के उपबंधों के अध्यधीन, सुनवाई में साबित किए जाने के लिए अपेक्षित कोई तथ्य साक्षियों की मौखिक परीक्षा द्वारा साबित किया जाएगा ।

32. अन्तिम पूर्वगामी विनियम पर प्रतिकूल डाले बिना आयोग आदेश दे सकेगा कि किसी विशिष्ट तथ्य का साक्ष्य अन्तिम सुनवाई में ऐसी रीति से दिया जाएगा जैसी आदेश में विनिर्दिष्ट की जाए और विशेषत: :—

(क) जानकारी या विश्वास की शपथ पर कथन द्वारा;

(ख) दस्तावेजों के पेश करने या पुस्तकों में प्रविष्टियों द्वारा;

(ग) दस्तावेजों की प्रतियों या पुस्तकों में प्रविष्टियों द्वारा;

(घ) कार्यवाहियों से संबंधित वैज्ञानिक, तकनीकी या सांख्यिकीय जानकारी की दशा में, विनिर्दिष्ट वैज्ञानिक, तकनीकी, आर्थिक या व्यापार प्रकाशनों द्वारा या ऐसी जानकारी अन्तर्विष्ट करने वाले निर्देश वाली कृतियों के पेश करने के द्वारा, और सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश XVI के उपबन्ध यथाशक्य वैसे ही लागू हो सकेंगे मानों ये इसमें अन्तर्विष्ट थे ।

अन्तिम सुनवाई

33. अन्तिम सुनवाई खुले न्यायालय में होगी;

परन्तु यदि आयोग का समाधान हो जाए कि यह लोकहित में है कि सुनवाई या उसका भाग खुले न्यायालय में नहीं होना चाहिए या कि विनिर्माण की गोपनीय प्रक्रिया या किसी खनिज या अन्य निक्षेपों की विद्यमानता, अविद्यमानता या अवस्थिति या किसी तत्समान मामले के बारे में साक्ष्य दिया जा सके जिसके प्रकाशन से किसी व्यक्ति के विधिसम्मत कारबार-हितों को सारत: नुकसान पहुंचता हो तो आयोग आदेश देगा, और किसी अन्य मामले में जिसमें उसे ऐसा करना उचित प्रतीत होता हो आदेश दे सकेगा, कि सुनवाई, या उसका ऐसा भाग जिसका आयोग निदेश करे, प्राइवेट तौर पर होगी ।

34. यदि आवेदन की सुनवाई पर आयोग को यह प्रतीत होता हो कि करार के सुसंगत उपबंध और मामले की परिस्थितियां सारत: उसी प्रकार की हैं जिन पर आयोग के सामने पूर्वतन कार्यवाही में विचार किया जा चुका है तो वह निदेश दे सकेगा कि विवाद्यक को संक्षिप्तत: अवधारण के लिए निर्दिष्ट किया जाए ।

35. जहां अन्तिम पूर्वगामी विनियम के अधीन आदेश दिया गया हो वहां आयोग, सुनवाई पर जब तक कि उसका यह समाधान न हो जाए कि करार के सुसंगत उपबन्धों या मामले की परिस्थितियों में पूर्वतन कार्यवाही में विचार किए गए उपबन्धों और परिस्थितियों में किसी तात्विक दृष्टि से अन्तर है :—

(क) विवाद्यक को साक्ष्य सुने बिना या ऐसे मौखिक या दस्तावेजी साक्ष्य पर जैसा वह उचित समझे संक्षिप्त: अवधारण कर सकेगा और

(ख) ऐसी घोषणा या आदेश कर सकेगा जो आयोग अधिनियम की धारा 37 के अधीन कर सकता था यदि विवाद्यक को सामान्य रीति से अन्तिम सुनवाई के पश्चात् अवधारित किया गया होता या कोई ऐसी घोषणा या आदेश करना तब तक आस्थगित कर सकेगा, जब तक कि कार्यबाहियों के अन्य सभी विवाद्यकों के सम्बन्ध में निपटारा नहीं कर दिया जाता ।

धारा 13 (2) के अधीन आवेदन

36. किन्ही कार्यवाहियों में आयोग द्वारा दिए गए किसी आदेश के संशोधन या प्रतिसंहरण के लिए धारा 13(2) के अधीन आवेदन उन सुसंगत परिस्थितियों में तात्विक परिवर्तन के शपथ-पत्र पर साक्ष्य द्वारा समर्थित होगा जिन पर आवेदक निर्भर करता हो । जब तक कि आयोग अन्यथा निदेश न दे, आवेदन की सूचना की तामील उसके समर्थन में शपथ-पत्रों की प्रतियों के साथ प्रत्येक ऐसे पक्षकार को दी जाएगी जो पूर्वतन कार्यवाहियों की सुनवाई पर उपसंजात हुआ हो और हर ऐसे पक्षकार को आवेदन पर सुनवाई का हक होगा ओर सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 114 और सिविल प्रक्रिया सहिता के आदेश 47 के उपबंध, यथाशक्य, इन कार्यवाहियों पर लागू होंगे ।

खर्च

37. जहां आयोग को यह प्रतीत होता हो कि कोई पक्षकार किन्ही कार्यवाहियों में अयुक्तियुक्त विलम्ब, या अनुचित, तंग करने वाले, अतिविस्तृत या अनावश्यक कार्यवाही या अन्य अयुक्तियुक्त आचरण (जिसमें, पूर्ववर्ती की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, कार्यवाहियों के संचालन के बारे में ऐसी स्वीकृति या सहमति देने से इंकार करना, जो युक्तियुक्त रूप से दी जानी चाहिए थी, सम्मिलित है) का दोषी रहा हो, आयोग उसके विरुद्ध खर्चों का आदेश दे सकेगा ।

38. आयोग निदेश दे सकेगा कि उसके समक्ष कार्यवाही का खर्चा जिसके द्वारा दिया जाएगा और अधिकारियों में से किसी को खर्च-विनिर्धारण करने के लिए प्राधिकृत कर सकेगा ।

39. आयोग की किसी घोषणा या आदेश में कोई लेखन भूल या उसमें किसी आकस्मिक छूट या लोप से पैदा होने वाली गलती को आयोग द्वारा या तो स्वप्रेरणा पर या किसी पक्षकार के आवेदन पर किसी भी समय सुधारा जा सकेगा और सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 152 के उपबंध भी लागू किए जा सकेंगे ।

दस्तावेजों की तामील

40. इन विनियमों द्वारा किसी व्यक्ति पर तामील करने या उसको परिदत्त किए जाने के लिए अपेक्षित प्रत्येक सूचना या अन्य दस्तावेज रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा उसके पते पर या, जहां तामील के लिए कोई पता नहीं दिया गया है, उसके रजिस्ट्रीकृत कार्यालय, कारबार के मुख्य स्थान या भारत में अन्तिम ज्ञात पते पर तामील के लिए भेजा जा सकेगा और उसकी तामील प्रेषिती की रसीद पेश किए जाने से साबित की जा सकेगी । सचिव को परिदत्त किए जाने या उसके पास फाइल किए जाने के लिए अपेक्षित प्रत्येक सूचना या अन्य दस्तावेज सचिव को रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा भेजा जा सकेगा ।

41. व्यापार संगम पर तामील करने या उसको परिदत्त किए जाने के लिए अपेक्षित कोई सूचना या अन्य दस्तावेज, यदि संगम निगमित निकाय नहीं है, तो सचिव, प्रबंधक या संगम के अन्य तत्समान अधिकारी को भेजा जा सकेगा।

42. रजिस्ट्रार के आवेदन पर जो एक पक्षीय रूप से किया जा सकता है, भारत से हर सुनवाई की सूचना की तामील के लिए आयोग इजाजत दे सकेगा और उस दशा में तामील की रीति के बारे में और उस समय को जिसके भीतर प्रत्यर्थी उपसंजात हो सकेगा और अपने मामले का कथन परिदत्त कर सकेगा, बढ़ाने के बारे में निदेश दे सकेगा।

43. आयोग किसी पक्षकार के आवेदन पर जो एक पक्षीय रूप से किया जा सकता है, निदेश दे सकेगा कि किसी दस्तावेज की तामील से अभियुक्ति प्रदान की जाए या कि उसकी तामील इन विनियमों के उपबंधित प्रकार से, जिसमें पूर्ववर्ती की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना उसकी सूचना का किसी ऐसे व्यापार पत्रिका या अन्य समाचार पत्र जिसका अयोग निदेश करने में प्रकाशन सम्मिलित है, अन्यथा की जाए।

प्रकीर्ण

44. इन विनियमों द्वारा या आयोग के आदेश द्वारा कोई कार्य करने के लिए विहित समय, करार द्वारा या आयोग के आदेश द्वारा, बढ़ाया (चाहे उसका अवसान पहले ही हो चुका अथवा नहीं) या कम किया जा सकेगा।

45. आयोग का केन्द्रीय कार्यालय ऐसे समय पर खुला रहेगा जैसा कि अध्यक्ष निदेश दे।

46. जहां कोई कार्य करने का अन्तिम दिन उस दिन पड़ता हो जिस दिन आयोग का कार्यालय बन्द हो और उस कारण से वह कार्य उस दिन नहीं किया जा सकता हो तो वह अगले दिन जब कार्यालय खुला होगा किया जा सकेगा।

47. जग तक आयोग ऐसा निदेश न करे तब तक इन विनियमते की किसी अपेक्षा का अनुपालन न कर सकने से कोई कार्यवाही अविधिमान्य नहीं होगी और, अधिनियम और इन विनियमों के उपबंधों के अध्यधीन आयोग को स्वयं अपनी प्रक्रिया विनियमित करने की शक्ति होगी।

सं० 8(4)-एम०आर०टी०पी०सी०/70 टी० एन० पाण्डेय
उप-सचिव

कृषि पुनर्वित्त निगम

सातवीं वार्षिक रिपोर्ट 1969-70

निदेशकों को 30 जून 1970 को समाप्त हुए वर्ष की सातवीं वार्षिक रिपोर्ट और परीक्षित लेखा विवरण प्रस्तुत करते हुए अपार हर्ष हो रहा है। निगम को लगातार दूसरे वर्ष इतना लाभ हुआ है कि वह कर संबंधी दायित्वों के लिए पूर्ण व्यवस्था करने के बाद अंश-धारियों को $4\frac{1}{4}$ प्रतिशत का न्यूनतम लाभांश अदा करने के अपने विधिक दायित्व को भारत सरकार से कोई आर्थिक सहायता लिए बिना ही पूरा कर सका है। निगम के कारोबार की विकासमान प्रवृत्ति को बनाए रखा गया परन्तु इस वर्ष के कार्यकलापों का अधिक संतोषजनक स्वरूप यह है कि वित्त व्यवस्था करनेवाली संस्थाओं द्वारा योजनाओं की वास्तविक कार्यान्विति और निगम द्वारा स्वीकृत पुनर्वित्त के उपयोग में सुधार हुआ है।

1 जुलाई 1963 को अपनी स्थापना से लेकर 30 जून 1970 तक निगम द्वारा स्वीकार की गई वित्तीय सहायता की कुल राशि 260 करोड़ रुपये और वायदों की कुल राशि 215 करोड़ रुपये है जो इस वर्ष के दौरान इन राशियों में क्रमशः 87 करोड़ रुपयों और 67 करोड़ रुपयों की वृद्धि की द्योतक हैं जबकि इनके मुकाबले 1968-69 वर्ष में क्रमशः 73 करोड़ रुपयों और 64 करोड़ रुपयों की वृद्धि हुई थी। 1969-70 के दौरान निगम से ली गई पुनर्वित्त की राशि 29 करोड़ रुपये है जो इस वर्ष के वायदों की राशि का 46 प्रतिशत होती है जबकि गत वर्ष यह राशि 18 करोड़ रुपये अर्थात् वायदों का 39 प्रतिशत थी। निगम की स्थापना से लेकर 30 जून 1970 तक उसके द्वारा संवितरित राशि 59 करोड़ रुपये है जो उक्त तारीख तक उसके संचयी वायदों की राशि का 64 प्रतिशत है जबकि इसके मुकाबले गत वर्ष के अंत में यह राशि 30 करोड़ रुपये और संबंधित प्रतिशत 52 थे। 1969-70 के कार्यकलापों के फलस्वरूप करों और लाभांश की देयताएं पूरी करने के बाद बचे हुए अधिशेष की राशि वर्ष 1968-69 के 0.13 लाख रुपयों के मुकाबले 9.02 लाख रुपये है।

जहां पूर्वोक्त गतिविधियां भूमि विकास बैंकों के समस्त ऋण कार्यक्रम में निगम की अधिक सहभागिता की द्योतक हैं वहां वे इस तथ्य की परिचायक भी हैं कि निगम ने कृषि विकास के लिए पुंजी-निवेश की व्यवस्था करने में रत देश की सहकारी बैंकिंग संस्थाओं के नेता और पुनर्वित्तदाता के रूप में अपनी भूमिका निभाना स्वीकार कर लिया है और वह उसे विश्वासपूर्वक निभा रहा है। बढ़ते हुए उत्तरदायित्व की इस पृष्ठभूमि में निगम को उधार देने की अपनी शर्तों का निरंतर पुनरीक्षण करते रहना होगा क्योंकि साधन जुटाने की उसकी अपनी लागत में वृद्धि हो गई है। 1968-69 के अंत तक निगम ने केवल भारत सरकार से ही उधार लिया जिस पर 9 वर्षों तक के ऋणों के लिए 5 प्रतिशत की दर से और 15 वर्षों तक के ऋणों के लिए $5\frac{1}{2}$ प्रतिशत की दर से ब्याज अदा करना होगा और उसे ब्याज का भुगतान यथासमय करने के लिए $\frac{1}{4}$ प्रतिशत की छूट मिलेगी। 1969-70 में अतिरिक्त साधनों की आवश्यकता के फलस्वरूप निगम को स्वीकृत योजनाओं के अंतर्गत अपने वायदों को निभाने के लिए खुले बाज़ार में बाण्ड जारी करने पड़े। बाण्ड जारी करके जुटाई गई राशि पर निगम को $5\frac{3}{4}$ प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अदा करना पड़ा। स्टाम्प शुल्क की अदायगी आदि जैसे तत्वों के कारण इन बाज़ार ऋणों की वास्तविक लागत 6 प्रतिशत तक पहुंच गई। उधार लेने की यह अधिक लागत अगले वर्ष से निगय के कार्यकलापों में परिलक्षित होगी। हां, निगम के फिलहांल अपनी इस सामान्य पुनर्वित्त दर में वृद्धि न करने का निश्चय किया है और इस तरह यह दर 6 प्रतिशत वार्षिक ही है। यह निश्चय करते समय निगम ने अखिल भारतीय ग्रामीण ऋण पुनरीक्षण समिति (1969) की इस सिफ़ारिश को पूर्णतया ध्यान में रखा है कि भारत रसरकार संबंधित काननों में इस आशय का संशोधन कर दे कि निगम रिजर्व बैंक आफ इंडिया की राष्ट्रीय कृषि ऋण (दीर्घकालीन क्रियाएं) निधि से रियायती दर पर अधिक मात्रा में उधार ले सके।

इस वर्ष निगम के कार्यकलापों की एक उल्लेखनीय विशेषता यह थी कि कृषि का आधुनिकीकरण करने और उसकी उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए पूंजीनिवेश की वित्त व्यवस्था करने के लिए निगम ने अंतराष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक (अं० पु० वि० बैंक) और उसकी संबद्ध संस्था अंतराष्ट्रीय विकास संघ (अं० वि० संघ) के साथ अपनी सक्रिय साझेदारी बनाये रखी। तीन परयोजनाएं अर्थात् तराई बीज परियोजना (अं० पु० वि० बैंक), गुजरात कृषि ऋण परियोजना (अं० वि० संघ) और पंजाब कृषि ऋण परियोजना (अं० वि० संघ०) अनुमोदित कर दी गई हैं। अं० पु० वि० बैंक/अं० वि० संघ, भारत सरकार, निगम और वित्त व्यवस्था करनेवाली संबंधित संस्थाओं के बीच हुए करारों के अंतर्गत अं० पु० वि० बैंक भारत सरकार को तराई परियोजना के लिए 130 लाख डालर (9.75 करोड़ रुपये) तक का ऋण प्रदान करेगा जिसमें से 6.75 करोड़ रुपये निगम के माध्यम से उपलब्ध कराये जाएंगे। अं० वि० संघ भारत सरकार को गुजरात परियोजना के लिए 350 लाख डालरों (26.25 करोड़ रुपयों) तक और पंजाब परियोजना के लिए 275 लाख डालरों (20.63 करोड़ रुपयों) तक के ऋण देगा जिनमें से क्रमशः 26.03 करोड़ रुपयों और 20.63 करोड़ रुपयों की राशियां निगम के ज़रिए दी जाएंगी। निगम भारत सरकार से उक्त राशियां सामान्य शर्तों और निबंधनों पर दिये गये ऋण के रूप में प्राप्त करेगा। आशा है कि कुछ अन्य राज्यों की इसी तरह की परियोजनाओं के लिए भी अं० वि० संघ निगम के माध्यम से सहायता प्रदान करेगा। इसका ब्योरा रिपोर्ट में अन्यत्र दिया गया है।

विभिन्न राज्यों में कृषि विकास की व्यवहार्य योजनाओं की वित्त व्यवस्था करते समय निगम ने यह निश्चय कर लेने का विशेष ध्यान रखा है कि वह अपनी सामार्थ्य के अनुसार कम विकसित क्षेत्रों की योजनाओं की कार्यान्विति पर विशेष और शीघ्र ध्यान दे सके। जिन विकास योजनाओं के लिए निगम सहायता दे सकता है उनका पता लगाने और उन्हें तैयार करने की प्रक्रिया को बढ़ावा देने की दृष्टि से निगम ने नये क्षेत्रीय कार्यालय खोले हैं। इस पर भी निगम की सहायता का प्रभाव स्थानीय वित्तीय संस्थाओं और संबंधित राज्य सरकारों के उद्यम और उनके इस दिशा में प्रवृत्त होने पर निर्भर है।

समग्र कार्यकलापों का पुनरीक्षण

वित्तीय कार्यकलाप

निगम ने 30 जून 1970 तक 371 योजनाएं मंजूर की थीं जिनके अन्तर्गत अंतिम उधारकर्ताओं को 259.51 करोड़ रुपयों की वित्तीय सहायता दी गई थी जिसमें निगम का अंश 214.89 करोड़ रुपये होगा। निम्नलिखित सारणी में स्थिति दर्शाई गई है :

करोड़ रुपये

वर्ष	वर्ष के दौरान मंजूर की गई योजनाओं की संख्या	वित्त व्यवस्था करने वाले बैंकों द्वारा वापस ली गई योजनाओं की संख्या		खाना 3 * में दी गई योजनाओं को छोड़ कर शेष योजनाओं के लिए	खाना 4 के अंतर्गत निगम का वायदा
		वर्ष के दौरान मंजूर की गई योजनाओं में से	गत वर्षों में मंजूर की गई योजनाओं में से	वर्ष के दौरान मंजूर की गई कुल वित्तीय सहायता	
1	2	3	4	5	6
1963–4	3	—	—	2.23	2.01
1964–5	10	—	—	11.96	10.07
1965–6	24	—	1	13.65	10.85
1966–7	16	1	9	9.13	7.07
1967–8	89	—	3	61.61	53.72
1968–9	112	4	3	73.46	64.28
1969–70	147	5	4	87.47	66.89
	401	10	20	259.51	214.89

*फिर से की गई प्रावस्था का समायोजन करने के बाद

नये कारोबार के संवर्धन की गति में 1967-68 में जो तेजी आई थी वह 1969-70 के दौरान भी बनी रही ।

निधियों का आहरण

प्रत्येक योजना के वास्तविक लक्ष्यों में योग्य उधारकर्ताओं के लिए परिकल्पित निवेश की मांग, वित्त व्यवस्था करनेवाली संस्थाओं की क्षमता तथा निर्माण कार्य के लिए आवश्यक तकनीकी जानकारी, सामग्री और उपस्कर की उपलब्धता का ध्यान रखा गया है । इसके साथ ही, किसी योजना के अंतर्गत निर्माणकार्यों के निश्चित कार्यक्रम के अधीन दी गई सहायता श्रम, पदार्थों और उपस्कर की अनुमानित लागत के आधार पर दी जाती है और वह उस सहायता का लगभग अंदाजा ही होती है जिसकी आवश्यकता योजनाधीन निवेशों की वित्त व्यवस्था के लिये कृषकों को हो सकती है । कृषकों के अपने श्रम और धन के अंशदान का हिसाब लगाने पर किसी योजना के लिए उन्हें जिस राशि की जरूरत होती है वह व्यवहार में योजना में व्यवस्था की गयी राशि से कम हो सकती है । इस दृष्टि से वास्तविक तथा वित्तीय लक्ष्यों और सफलताओं में पूर्ण संगति की आशा नहीं की जा सकती । इन दोनों का अंतर उस अंतर से अधिक हो सकता है जिसे इसलिए उचित ठहराया जा सकता है कि कठिनाइयों की प्रत्याशा नहीं की गई थी, कार्यक्रम को कार्यरूप देने के लिए उत्तरदायी विभिन्न एजेन्सियों में समन्वय की कमी थी और वित्त व्यवस्था करनेवाले बैंकों और विभागीय एजेन्सियों द्वारा पहल किये जाने का अभाव था ।

उपर्युक्त कारणों से निगम ने इस बात को ओर विशेष ध्यान दिया है कि वित्त व्यवस्था करने वाली संस्थाओं और राज्य सरकारों द्वारा स्वीकृत योजनाएँ समय पर पूरी हो जाएँ और इसके साथ ही वे अपनी नयी योजनाएँ समय पर तैयार कर लें । निम्नलिखित सारणी में किसी विशेष वर्ष में फिर से की गई प्रावस्था के लिए गुन्जाइश रखने के बाद मंजूर किये गये परिव्यय में से बैंकों द्वारा निधियों के आहरण की स्थिति दर्शाई गयी है :

करोड़ रूपये

वर्ष	प्रत्येक वर्ष के अंत में कार्यान्वित की जा रही स्वीकृत योजनाओं की संख्या	योजनाओं के सम्बन्ध में उनकी प्रावस्था के अनुसार निगम का वायदा		निगम के डिबेंचरों में अभिदान और उससे लिए गये ऋण		वायदे की राशि की तुलना में आहरित राशि का प्रतिशत	
		वर्ष के दौरान	वर्ष के अंत तक	वर्ष के दौरान	वर्ष के अंत तक	वर्ष के दौरान	वर्ष के अंत तक
1963–64	3	—	—	—	—	—	—
1964–65	13	4.47	4.47	0.45	0.45	10.1	10.1
1965–66	36	8.28	8.73	4.45	4.90	53.7	56.1
1966–67	42	9.40	14.30	2.08	6.98	22.1	48.8
1967–68	128	18.50	25.48	5.67	12.65	30.6	49.6
1968–69	233	45.94	58.59	17.84	30.49	38.8	52.0
1969–70	371	61.66	92.15	28.60	59.09	46.4	64.1

इस प्रकार वर्ष के दौरान वायदे की राशि में आहरित राशि का प्रतिशत 1966-67 से 1969-70 तक बड़े ही संतोषजनक ढंग से बढ़ता हुआ प्रतीत होगा । वित्त व्यवस्था करने वाली संस्थाओं की कार्यान्वित क्षमता में अधिकांशत: उनके द्वारा प्राप्त अनुभव के फलस्वरूप सुधार होता रहा है । समग्र रूप से 30 जून, 1970 तक निगम द्वारा वायदा की गई रकम में आहरित रकम का अनुपात 64 प्रतिशत था । इसके मुकाबले यह अनुपात पिछले वर्ष के अन्त में 52 प्रतिशत था । वर्ष के दौरान वायदे की रकम में आहरणों का प्रतिशत 1968-69 के 39 के मुकाबले 1969-70 में 46 था फिर भी इसमें और अधिक सुधार की गुंजाइश है । 1969-70 में निगम को 1.53 लाख रुपयों का वायदा प्रभार लगाना पड़ा । निगम की आशा है कि भविष्य में इस तरह के प्रभार को अधिक मात्रा में लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी क्योंकि ये प्रभार वित्त व्यवस्था करने वाले बैंकों और विभागीय एजेन्सियों द्वारा योजनाओं को दोषपूर्ण ढंग से तैयार और कार्यान्वित किये जाने के परिणामस्वरूप लगाए जाते हैं ।

मंजूर की गयी योजनाएं

निगम ने अपनी स्थापना से लेकर 30 जून 1970 तक जो योजताएं मंजूर की हैं उनका उद्देश्यों वित्तीय व्यवस्था करने वाली एजेन्सियों तथा राज्यों के अनुसार वितरण का वर्णन नीचे दिया गया है ।

योजनाएं : उद्देश्य के अनुसार

निगम द्वारा 30 जून 1970 तक मंजू की गई 371 योजनाओं का उनके उद्देश्यों के अनुसार वर्गीकरण परिशिष्ट एक में दिया गया है । पिछले वर्ष के अन्त तक पायी गई स्थिति के अनुसार ही इस वर्ष भी लघु सिंचाई की विकास योजनाओं, सिंचाई परियोजनाओं के अन्तर्गत स्थित भूमि की विकास योजनाओं और बागानों तथा फलोद्यानों के विकास

की योजनाओं का महत्वपूर्ण स्थान था परन्तु पिछले वर्ष के अन्त में जो स्थिति थी उसकी तुलना में इस वर्ष मंजूर की गई कुल वित्तीय सहायता मे गोदाम निर्माण और कृषि के मशीनीकरण की योजनाओं के अंश में वृद्धि हुई है। यद्यपि कम समय में कृषि उत्पादन को बढ़ाने के कार्यक्रमों में लघु सिंचाई की विकास योजनाओं के महत्व के कारण यह आवश्यक है कि उनको सहायता दिये जाने पर जोर दिया जाना रहे तथापि निगम द्वारा जिस प्रकार के कार्यकलापों के लिये सहायता दी जाती है, उनमें विशाखन की जो भी प्रवृत्ति आई है भविष्य में उसके और अधिक जोर पकड़ने की आशा है।

मंजूर की गई कुल सहायता से लघु सिंचाई, भूमि विकास और बागानों तथा फलोद्यानों के विकास के लिये मंजूर की गई वित्तीय सहायता का अनुपात 1969-70 के अन्त में क्रमश: 60 प्रतिशत, 23 प्रतिशत और 9 प्रतिशत था जब कि 1968-69 के अन्त में यह अनुपात क्रमश: 64 प्रतिशत, 21 प्रतिशत तथा 9 प्रतिशत था। मंजूर की गई कुल वित्तीय सहायता में गोदाम सुविधाओं के निर्माण और कृषि के मशीनीकरण की योजनाओं के लिये मंजूर की गई सहायता क्रमश: 3 प्रतिशत और 2 प्रतिशत थी जबकि 1968-69, के अन्त में उनका प्रतिशत क्रमश: एक और एक से कम था। मीन उद्योग, डेरी और मुर्गीपालन के विकास के लिये मंजूर की गई वित्तीय सहायता में भी पिछले वर्ष के अन्त की स्थिति की तुलना में 1969-70 के अन्त में वृद्धि हुई है।

योजनाएं : वित्त व्यवस्था करनेवाली एजेन्सियों के अनुसार

1969-70 के अन्त में निगम द्वारा वित्त व्यवस्था करने वाली प्राथमिक एजेन्सियों के आधार पर मंजूर की गई योजनाओं का वर्गीकरण परिशिष्ट दो में दिया गया है। यद्यपि निगम द्वारा मंजूर की गई वित्तीय सहायता का अधिकांश भाग केन्द्रीय सहकारी भूमि विकास बैंकों को ही दिया जाता रहा तथापि अनुसूचित वाणिज्य बैंकों और राज्य सहकारी बैंकों की दी गई सहायता के अंश में भी वर्ष के दौरान पर्याप्त वृद्धि हुई जिससे यह पता लगता है कि निगम ने इस काम को बढ़ावा देने के लिये सतत प्रयत्न किये हैं कि इन बैंकों द्वारा निगम से सहायता प्राप्त करने के लिये क्षेत्रीय आधार पर योजनाएं तैयार की जाएं। निगम द्वारा 30 जून 1970 तक मंजूर की गई वित्तीय सहायता में केन्द्रीय भूमि विकास बैंकों वाणिज्य बैंकों और राज्य सहकारी बैंकों का अंश क्रमश: 86.5 प्रतिशत, 8 प्रतिशत और 5.5 प्रतिशत था जबकि पिछले वर्ष उनका अंश 94 प्रतिशत, 2 प्रतिशत और 4 प्रतिशत था। यद्यपि निगम द्वारा वित्त व्यवस्था करने वाली एजेन्सियों के अनुसार दी गई वित्तीय सहायता का अधिकतर भाग केन्द्रीय सहकारी भूमि विकास बैंकों को मिलता रहेगा तथापि इस सहायता मे पाई जाने वाली विशाखन की प्रवृति के बने रहने की आशा है।

योजनाएं राज्यों के अनुसार

30 जून 1970 तक निगम द्वारा मंजूर की गई इस प्रकार की योजनाओं का वर्गीकरण परिशिष्ट तीन में दिया गया है।

वास्तविक सफलताएं

निगम द्वारा मंजूर योजनाओं के अन्तर्गत दी गई वित्तीय सहायता से 30 जून 1970 तक उत्पन्न हुई ठोस अस्तियों का उल्लेख अब तक हो चुके अथवा चल रहे विकास के वास्तविक पहलुओं के रूप में किया जा सकता है। निगम की स्थापना से लेकर 30 जून 1970 तक लघु सिंचाई के क्षेत्र में निगम द्वारा मंजूर की गई योजनाओं के अन्तर्गत किसानों को दी गई वित्तीय सहायता से 63,060 कुएं बनाये जा चुके थे या बनाये जा रहे थे। इनमें से 32,678 नलकूप और 30,382 खोदे गए कुएं थे। इन कुओं में से अधिकांश में डीजल या बिजली के पम्पसेट लगा कर उन्हें शक्तिचालित बनाया गया। निगम की योजनाओं के अन्तर्गत 57,794 पम्पसेटों की खरीद के लिये वित्त व्यवस्था की गई और इनमें से अधिकांश पम्पसेट इन योजनाओं के अन्तर्गत बनाये गये नलकूपों और नये कुओं में लगाये गये थे और कुछ पम्पसेट वर्तमान कुओं को शक्तिशाली करने के लिये थे। यह मानकर कि एक नलकूप और एक नया कुआ एक साल में दो फसलों के लिये क्रमश: 10 एकड़ और 5 एकड़ के लगभग भूमि की सिंचाई के लिये पर्याप्त होगा, यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि निगम की लघु सिंचाई योजनाओं के अधीन अब तक दी गई वित्तीय सहायता से लगभग 4,80,000 एकड़ भूमि को दो फसलें उगाने वाले क्षेत्र के अन्तर्गत लाया गया है या लाया जा रहा है। कई मामलों में निगम द्वारा मंजूर की गई लघु सिंचाई योजनाओं की अनुयोजक व्यवस्था के रूप में राज्य बिजली बोर्डों द्वारा बिजली के तार लगाने के लिये सहायता दी गई है। इस सम्बन्ध में की गई व्यवस्था के अनुसार राज्य बिजली बोर्ड निगम द्वारा किसानों को दी गई वित्तीय सहायता में से बिजली के तार लगाने के लिये दीर्घवधि जमा ले लेते हैं। इसी तरह कुछ योजनाओं के अधीन जल संचार प्रणाली निर्माण के लिये वित्तीय सहायता दी गई है ताकि जल का संरक्षण हो सके।

निगम की योजनाओं के अन्तर्गत नलकूपों का विकास अब तक मुख्यत: गंगा और सिन्धु के मैदान में हुआ है जिसका मुख्य कारण यह है कि इस क्षेत्र में नलकूप के विकास की क्षमता ज्ञात थी। जून 1970 के अन्त तक पंजाब, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और बिहार में क्रमश: 15,549, 7,785, 6,549, और 1,113 नलकूप लगाने के लिये वित्त व्यवस्था की गई। आंध्र प्रदेश और गुजरात में भी 1,516 और 71 नलकूप लगाने के लिये वित्त व्यवस्था की गई। इसके साथ ही जो भी अन्वेषण किये जा चुके हैं या किये जा रहे हैं उनके फलस्वरूप अन्य राज्यों में भी नलकूप लगाने की योजनाएं या तो मंजूर की जा चुकी हैं या विचाराधीन ह। यह आशा की जा सकती है कि इससे सम्बन्धित विकास में आगामी वर्षों में अधिक विशाखन देगा।

निगम की योजनाओं के अन्तर्गत खुले कुओं के निर्माण में अपेक्षाकृत अधिक विस्तार हुआ है। निगम द्वारा पुनर्वित्त प्रदान की गई योजनाओं के अन्तर्गत निर्मित या निर्माणाधीन कुओं की संख्या जून 1970 के अन्त में आंध्र प्रदेश में 10,769, उत्तर प्रदेश में 4,008 गुजरात में 3,989 महाराष्ट्र में 2,134 मैसूर में में 1,824 हरियाणा में 1,510 राजस्थान में, 1,357, केरल 202 और बिहार में 69 थी।

बड़ी सिंचाई परियोजनाओं के अन्तर्गत स्थित जमीनों का विकास एक अन्य महत्वपूर्ण कार्य था जिसकी वित्तीय व्यवस्था में निगम ने सहायता की है । सिंचाई परियोजनाओं के अन्तर्गत लाये जाने से पहले जमीनें सामान्यत: वर्षा पर निर्भर रहनेवाली कृषि के अन्तर्गत आती थीं । ये जमीनें प्राय: ऊंची नीची होती हैं और इन्हें समतल करने, इनमें बांध आदि का निर्माण करने की आवश्यकता होती है तथा इन्हें सिंचाई का पानी ग्रहण करने योग्य बनाने के लिये जल संचार प्रणाली की भी व्यवस्था करनी होती है । इस पहलू पर कम ध्यान दिये जाने और इस उद्देश्य के लिये अपर्याप्त वित्तीय सहायता उपलब्ध होने के कारण इन परियोजनाओं की सिंचाई क्षमता का कम उपयोग हुआ है । निगम की योजनाओं के अन्तर्गत ऐसी परियोजनाओं के अधीन जून 1970 के अन्त तक 5,54,000 एकड़ भूमि का विकास या तो पहले से ही हो चुका था या चल रहा था । इससे में आंध्र प्रदेश में नागार्जुन सागर और तुंगभद्रा उच्चस्तरीय नहर परियोजनाओं के अधीन 3,02,000 एकड़ ; मैसूर में तुंगभद्रा, भद्रा और घटप्रभा परियोजनाओं के अधीन 1,45,000 एकड़ ; तमिलनाडु में पैराम्बीकुलमअलियार परियोजना के अधीन 84,000 एकड़ ; महाराष्ट्र में बोर, नलगंगा और घोड़गंगापुर परियोजनाओं के अधीन 17,000 एकड़ ; बिहार में कोसी परियोजना के अधीन 2,840 एकड़, मध्य प्रदेश में चम्बल परियोजना के अधीन 1,437 एकड़; उड़ीसा में हीराकुड परियोजना के अधीन 1,308 एकड़ और राजस्थान में चम्बल परियोजना के अधीन 673 एकड़ भूमि थी ।

बागानों और फलोद्यानों के विकास के लिये भी निगम ने सहायता दी है । इस क्षेत्र में निगम की सहायता बागानों और फलोद्यानों की विभिन्न फसलों के लिये दी गई । निगम की योजनाओं के अन्तर्गत जून 1970 के अन्त तक पहले से ही दी जा चुकी वित्तीय सहायता से निम्नलिखित नये बागानों और फलोद्यानों का या तो विकास कर लिया गया था या किया जा रहा था । नारियल की फसल के अन्तर्गत 9,644 एकड़ भूमि, कांफी के अन्तर्गत 3,326 एकड़ भूमि, चाय के अन्तर्गत 2,699 एकड़ भूमि, सुपारी के अन्तर्गत 1,787 एकड़ भूमि, आम के अन्तर्गत 1,704 एकड़ भूमि, संतरे का फसल के अन्तर्गत 1,389 एकड़ भूमि, रबड़ के अन्तर्गत 1,619 एकड़ भूमि, अंगूर की फसल के अन्तर्गत 405 एकड़ भूमि और संतरों को छोड़कर नीबू की जाति के फलों के अन्तर्गत 98 एकड़ और इलायची के अन्तर्गत 80 एकड़ भूमि ।

मीन उद्योग के विकास, गोदाम सुविधाओं के निर्माण और कृषि के मशीनीकरण के लिये निगम की योजनाओं के अन्तर्गत दी गई वित्तीय सहायता से किसान और मछियारे नई पूंजीगत आस्तियां प्राप्त कर सके हैं । निगम की योजनाओं के अन्तर्गत मैसूर के उत्तरी तथा दक्षिणी कनारा ज़िलों में 285 मशीनीकृत नौकाएँ बनाई गई और तमिलनाडु के मद्रास तथा चिंगलपुट जिलों में ऐसी ही 10 नौकाएं बनाई गई । हरियाणा में करनाल जिले और बिहार मे कोसी परियोजना क्षेत्र के किसानों ने निगम की योजनाओं के अन्तगत क्रमश: 235 और 59 ट्रैक्टर खरीदे । इन योजनाओं के अन्तर्गत मैसूर के दक्षिणी कनारा जिले के किसानों ने 126 शक्तिचालित हल खरीदे । पंजाब में विभिन्न मण्डी केन्द्रों में 87 गोदामों का निर्माण पूरा कर लिया गया जिनकी क्षमता 156,000 मीटरिक टन थीं। निगम द्वारा मंजूर योजनाओं के अन्तर्गत विशेषत: कृषि पदार्थों के अतिरिक्त उत्पादन का अच्छी तरह विपणन कर सकने के विचार से कृषि पुनर्वित्त निगम गोदाम सुविधाओं के निर्माण के लिये सहायता दे रहा है ।

1969-70 के कार्यकलाप

मंजूर की गयी योजनाएं

1969–70 के दौरान निगम ने 147 योजनाएँ मंजूर कीं जिनमें से 5 योजनाएँ बाद में वित्त व्यवस्था करने वाली संस्थाओं द्वारा वापस ले ली गईं । शेष 142 योजनाओं के अधीन मंजूर की गयी वित्तीय सहायता लगभग 93 करोड़ रुपये थी जिसमें कृषि पुनर्वित्त निगम के वायदे की रकम लगभग 71 करोड़ रुपये थी। इन 142 योजनाओं का उद्देश्य, वित्त व्यवस्था करने वाली एजेन्सी और राज्य के अनुसार वितरण निम्नलिखित है ।

योजनाएँ : उद्देश्य के अनुसार

1969–70 के दौरान निगम द्वारा मंजूर की गई योजनाओं का उद्देश्य के अनुसार वितरण निम्नलिखित सारणी में दिया गया है :–

अवधि : 1 जुलाई 1969 से 30 जून 1970 तक

(करोड़ रुपये)

योजना का प्रकार	योजनाओं की संख्या	वित्तीय सहायता	कृषि पुर्वित्त निगम का वायदा	राज्य सरकारों, बैंकों/पार्टियों का वायदा
लघु सिंचाई	62	48.68	43.81	4.87
भूमि उद्धार	11	25.99	16.03	9.96
बागान और बागबानी . . .	54	5.80	4.23	1.57
मुर्गी पालन	1	0.01	0.005	0.005
डेरी	1	0.04	0.01	0.03
गोदाम	3	5.52	1.92	3.60
मीन उद्योग	3	1.77	1.19	0.58
कृषि मशीनीकरण . . .	7	4.97	3.72	1.25
	142	92.78	70.915	21.865

वर्ष के दौरान मन्जूर की गई लघु सिंचाई योजनाओं के अधीन 46,484 खुले कुएं और 3,983 नलकूप या तो बनाये अथवा नवीकृत किये जाने हैं। 48,613 डीजल और बिजली के पम्पसेटों की खरीद के लिये वित्त व्यवस्था भी की जायेगी। वर्ष के दौरान 3.70 करोड़ रुपयों की राशि राज्य बिजली बोर्डों के पास राशि जमा करने के लिये मंजूर की गई ताकि ये बोर्ड किसानों के कुओं में बिजली लगा सकें।

बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, पंजाब, तमिलनाडु, और उत्तर प्रदेश में भूमि उद्धार की 11 योजनाएँ मंजूर की गईं जिनके अन्तर्गत कोसी (बिहार), चम्बल (मध्य प्रदेश), पैराम्बीकुलम अलियार (तमिलनाडु) और उत्तर प्रदेश में तराई बीज विकास परियोजना के अधीन आने वाले क्षेत्रों और पंजाब तथा उड़ीसा की कुछ लघु सिंचाई परियोजनाओं के क्षेत्रों में 309,800 एकड़ भूमि का विकास किया जाना है। बागान तथा बागबानी के लिये मजूर की गई 54 योजनाओं के अन्तर्गत चाय, काफी, रबड़, इलायची, नारियल, काजू, सेब, और अंगूरों की 41,662 एकड़ भूमि का विकास किया जाना है। कृषि मशीनीकरण की 7 योजनाओं के अधीन किसानों को 1,656 ट्रैक्टर दिये जायेंगे। गुजरात, पंजाब और उत्तर प्रदेश में गोदाम सुविधाओं के निर्माण की तीन योजनाएं मंजूर की गईं जिनके अन्तर्गत 452,000 मीटरिक टन की क्षमता के 256 गोदाम बनाये जाएँगे। तमिलनाडु तथा महाराष्ट्र में मीन उद्योग की तीन योजनाएं स्वीकार की गयीं जिनके अन्तर्गत मछियारों को 115 मशीनीकृत नौकाएँ और नौकाएँ बनाने का कारखाना, हिमीकरण संयन्त्र (फ्रीजिंग प्लांट), तथा परिवहन गाड़ियों के साथ ही उन्हें 40 ट्रालर दिये जायेंगे।

योजनाएँ : वित्त व्यवस्था करनेवाली संस्थाओं के अनुसार

बर्ष के दौरान निगम द्वारा मंजूर की गई योजनाओं का वित्त व्यवस्था करनेवाली संस्थाओं के अनुसार वितरण नीचे दिया गया है।

अवधि : 1 जुलाई 1969 से 30 जून 1970 तक

(करोड़ रुपये)

वित्त व्यवस्था करने वाली संस्थाएँ	योजनाओं की संख्या	वित्तीय सहायता	निगम का वायदा	राज्य सरकारों, बैंकों/पार्टियों का वायदा
केन्द्रीय भूमि विकास बैंक . . .	85	69.18	59.18	10.00
राज्य सहकारी बैंक . . .	7	7.42	3.24	4.18
अनुसूचित वाणिज्य बैंक . . .	50	16.18	8.50	7.58
	142	92.78	70.92	21.86

केन्द्रीय भूमि विकास बैंकों के माध्यम से पूरी की जानेवाली 85 योजनाओं में से 62 योजनाएं लघु सिंचाई के विकास, 9 भूमि भूमि उद्धार 8 बागान तथा बागबानी और 6 कृषि मशीनीकरण की थीं। अनुसूचित वाणिज्य बंकों के माध्यम से पुनर्वित्त प्रदान की जाने वाली 50 योजनाओं में से 45 बागानों के विकास के लिये थीं। शेष योजनाओं में से दो योजनाएँ भूमि विकास, एक ट्रैक्टरों की खरीद, एक डेरी और एक मुर्गीपालन के लिये थीं। राज्य सहकारी बैंकों के माध्यम से मंजूर की गई 7 योजनाओं में से तीन योजनाएं गोदाम निर्माण, तीन मीन उद्योग के विकास और एक बागबानी के लिये थीं।

वर्ष के दौरान मंजूर की गई कुल वित्तीय सहायता में से भूमि विकास बैंकों, वाणिज्य बैंकों और राज्य सहाकारी बैंकों के माध्यम से पूरी की जाने वाली योजनाएँ क्रमशः 75 प्रतिशत, 17 प्रतिशत और 8 प्रतिशत थीं जबकि 1968–69 के दौरान मंजूर की गई योजनाओं का तदनुरूपी प्रतिशत क्रमशः 96, 2 और 2 था।

योजनाएँ : राज्यों के अनुसार

1969–70 के दौरान निगम द्वारा मंजूर की गई योजनाएं का राज्यों के अनुसार वितरण पृष्ठ 11 पर, दर्शाया गया है।

मंजूर की गई योजनाओं के सम्बन्ध में निगम द्वारा वर्ष के दौरान वितरित सकल राशि 28.60 करोड़ रुपये थी जबकि पिछले वर्ष यह राशि 17.84 करोड़ रुपये थीं। राज्यों, वित्त व्यवस्था करनेवाली एजेन्सियों और योजनाओं के उद्देश्य के अनुसार वर्ष के दौरान वितरित राशि परिशिष्ट चार में दिखायी गयी है। निगम द्वारा अपनी स्थापना से लेकर प्रतिवर्ष वितरित सकल राशि नीचे दी गई है :

(करोड़ रुपयों में)

वर्ष	वितरित राशि
1963-64	—
1964-65	0.45
1965-66	4.45
1966-67	2.08
1967-68	5.67
1968-69	17.84
1969-70	28.60
	59.09

फिर से प्रावस्थाबद्ध योजनाएँ

वित्त व्यवस्था करने वाले बैंकों की प्रार्थना पर निगम द्वारा पिछले कुछ वर्षों में मंजूर की गयी योजनाओं में से कुछ योजनाओं को फिर से प्रावस्थाबद्ध किया गया अथवा उनका पुनरीक्षण किया गया। भूमि विकास बैंकों के माध्यम से मंजूर की गयी 56 योजनाओं के पुनरीक्षण का निगम ने अनुमोदन कर दिया। यह पुनरीक्षण प्रावस्था के विस्तार, वास्तविक कार्यक्रम के पुनर्निर्धारण या इन कार्यक्रमों में घट-बढ़ से सम्बन्धित था। तकनीकी कर्मचारियों, उपस्कर या सामग्री के अभाव, विकास की लागत के पुनरीक्षण, किसानों द्वारा अपेक्षित छोटे या बड़े ऋणों और वित्त व्यवस्था करने वाले बैंकों और राज्य सरकारों द्वारा उठाये गये अपर्याप्त प्रारम्भिक कदमों के कारण योजनाओं का पुनरीक्षण या उनका फिर से प्रावस्थाबद्ध किया जाना आवश्यक हो गया।

वाणिज्य बैंकों और राज्य सहकारी बैंकों के मामले में इस वर्ष के दौरान क्रमशः 9 और 4 योजनाओं को फिर प्रावस्थाबद्ध किया गया अथवा उनमें संशोधन किया गया।

अवधि : 1 जुलाई 1969 से 30 जून 1970 तक

करोड़ रुपये

राज्य का नाम	योजनाओं की संख्या	वित्तीय सहायता	निगम का वायदा	राज्य सरकारों, बैंकों और पार्टियों का वायदा
1	2	3	4	5
आंध्र प्रदेश	11	6.20	5.58	0.62
असम	3	0.27	0.18	0.09
बिहार	2	6.23	4.75	1.48
गुजरात	24	14.26	12.10	2.16
हरियाणा	4	2.14	1.89	0.25
जम्मू और काश्मीर	1	0.95	0.71	0.24
केरल	1	0.67	0.21	0.46
मध्य प्रदेश	5	3.27	2.91	0.36
महाराष्ट्र	8	5.94	5.11	0.83
मैसूर	40	10.40	9.09	1.31
उड़ीसा	5	1.33	1.00	0.33
पंजाब	6	6.26	5.13	1.13
राजस्थान	5	3.70	3.33	0.37
तमिलनाडु	20	11.21	9.61	1.60
उत्तर प्रदेश	5	19.90	9.28	10.62
पश्चिम बंगाल	2	0.05	0.04	0.01
	142	92.78	70.92	21.86

विश्व बैंक की कृषि ऋण परियोजनाएँ

जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है विश्व बैंक भारत सरकार से विचार-विमर्श करके कृषि में पूंजी निवेश को बढ़ावा देने के लिए निगम के जरिये वित्तीय सहायता देने के प्रस्ताव पर विचार करने के लिए सहमत हो गया है। भारत सरकार को उक्त सहायता अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक और अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ के जरिये दी जाएगी। अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक तथा अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ से भारत सरकार को प्राप्त ऋणों में से निगम को सामान्य शर्तों और निर्बंधनों पर ही ऋण दिये जायें।

जिन तीन परियोजनाओं के सिलसिले में करार किये जा चुके हैं उनके नाम हैं : उत्तर प्रदेश तराई बीज परियोजना, गुजरात कृषि ऋण परियोजना तथा पंजाब कृषि ऋण परियोजना। जबकि तराई बीज परियोजना 1969–70 में लागू हो गई थी, गुजरात और पंजाब की परियोनाएं 1970–71 दौरान लागू की जाएंगी। इन ऋणों की राशि तथा जिन उद्देश्यों के लिए इन्हें आहरित किया जा सकता है उनके संबंध में विवरण नीचे दिया गया है :

तराई बीज परियोजना

श्रेणी	परियोजना		अंतराष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक से प्राप्त राशि	
	राशि अमेरिकी डालरों में (दस लाख)	राशि, लाखों रुपये में	राशि अमेरिकी डालरों में (दस लाख)	राशि, लाखों रुपये में
फार्म विकास एवं मशीनरी . .	14.61	1096.00	7.596	570.00
संसाधन संयंत्र (तराई विकास निगम)	2.97	223.00	0.541	40.00
विद्युतीकरण	0.81	60.00	0.261	20.00
कुल निवेश लागत . . .	18.39	1379.00	8.398	630.00
अतिरिक्त विदेशी मुद्रा के लिये व्यवस्था .	*	*	0.602	45.00
उर्वरक	4.00	300.00	4.000	300.00
जोड़ . . .	22.39	1679.00	13.000	975.00

*अलग अलग मदो में सम्मिलित

गुजरात परियोजना

श्रेणी	राशि, अमेरिकी डालरों में	राशि, लाख रुपयों में
ट्रैक्टर, ट्रैक्टरों के अतिरिक्त पुर्जे कटाई की मशीनें, चकतियां और हलों की फालें	7,400,000	555.00
लघु सिंचाई उपस्कर एवं सुविधाएँ . .	27,300,000	2047.50
परामर्श सेवाएँ . .	300,000	22.50
	35,000,000	2625.00

पंजाब परियोजना

श्रेणी	राशि, अमेरिकी डालरों में	राशि, लाख रुपयों में
आयात किये हुए ट्रैक्टर और अतिरिक्त पुर्जे . .	24,000,000	1800.00
आयात की हुई स्वचालित कटाई की मशीनें और अतिरिक्त पुर्जे . .	600,000	45.00
आयात की हुई चकतियां हलों की फालें . .	1,200,000	90.00
ट्रैक्टर चालित कटाई की मशीनें और अतिरिक्त पुर्जे . .	500,000	37.50
विनिधान न की गई राशि	1,200,000	90.00
	27,500,000	2062.00

तराई बीज परियोजना अधिक उपज देनेवाली किस्मों के बीजों का उत्पादन करने के लिये है। इन बीजों का उत्पादन कृषकों के अलावा उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में स्थित उत्तर प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय, पन्तनगर द्वारा भी किया जायेगा। परियोजना के अधीन आने वाली किसानों की तथा विश्वविद्यालय की भूमि की मेंढ़बंदी करके, उसे बराबर करके और उसमें नलकूप लगाकर तथा जल संचार प्रणाली का निर्माण आदि करके उसे अधिक उपज देनेवाली किस्म के उत्तम किस्म के बीजों का उत्पादन करने लायक बनाया जायेगा। गुजरात, परियोजना के अन्तर्गत भारी संख्या में कुएँ तथा नलकूप लगाये जायेंगे और उन्हें शक्तिचालित किया जायेगा। जहां विशेष रुप से ट्रैक्टरों का उपयोग करके श्रम प्रधान खेती के जरिये फसलों को काफी बढ़ाया जा सकता है वहां उस परियोजना में राज्य के किसानों को लगभग 2,200 ट्रैक्टर देने की परिकल्पना भी की गई है। पंजाब की परियोजना उसके अधीन आने वाले फार्मों में श्रम प्रधान कृषि को बढ़ाने के उद्देश्य से कृषि के मशीनीकरण के लिये बनाई गई है। इस परियोजना के अधीन दिये जाने वाले ट्रैक्टरों की संख्या लगभग 8,000 होगी। इसके अतिरिक्त राज्य में गेहूं की प्रचुर फसल की कटाई के काम में शीघ्रता लाने के उद्देश्य के लगभग 220 स्वचालित (सेल्फ प्रापेल्ड) कटाई की मशीनें भी दी जाएंगी।

अन्तर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक/अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ से प्राप्त सहायता का कुछ भाग प्रत्येक परियोजना में किये जाने वाले सकल निवेशों की आंशिक वित्त व्यवस्था के लिये दिया जायेगा। अन्तर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक/अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ द्वारा दिये गये ऋण की सहायता से विभिन्न प्रकार के जिन निवेशों की व्यवस्था की जायेगी, उनकी लागत के अनुपात का उल्लेख प्रत्येक परियोजना के संबंध में किये गये करार में किया गया है। इस परियोजना के अधीन तराई तथा गुजरात परियोजनाओं के मामलों में वित्त व्यवस्था करने का काम 30 जून, 1974 तक और पंजाब परियोजना के मामले में 31 दिसम्बर, 1972 तक पूरा जायेगा।

अन्तर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक/अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ के साथ किये गये करार में अन्य बातों के साथ साथ उन शर्तों और निबंधनों का भी उल्लेख है जिनके अधीन निगम द्वारा वित्त व्यवस्था करने वाली संस्थाओं को और इन संस्थाओं द्वारा अन्तिम उधारकर्ताओं को पुनर्वित्त प्रदान किया जायेगा। इन करारों की कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएँ इस प्रकार हैं। भूमि विकास बैंकों के उधार देने संबंधी सामान्य कार्यक्रमों पर अनुशासन रखा जायेगा और बैंकों में तकनीकी अनुभागों तथा भूमिगत जल अनुभागों की स्थापना की जायेगी। गुजरात परियोजना पूर्ण रुप से गुजरात राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक द्वारा कार्यान्वित की जायेगी। पंजाब परियोजना के अधीन किये जाने वाले निवेशों के कम से कम 80 प्रतिशत की वित्त व्यवस्था पंजाब राज्य सहकारी भूमि बंधक बैंक के जरिये की जायेगी और वाणिज्य बैंकों के जरिये की जाने वाली वित्त व्यवस्था 20 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी। तराई परियोजना के लिये संपूर्ण वित्त व्यवस्था स्टेट बैंक आफ इंडिया के जरिये की जायेगी।

अध्ययनगत योजनाएँ

1968–69 के अन्त में 254 योजाएं निगम के विचाराधीन थीं। 1969–70 में निगम के पास 226 योजनाएँ विचार के लिये प्राप्त हुई थीं जिनमें से 125 योजनाएँ भूमि विकास बैंकों, 81 अनुसूचित वाणिज्य बैंकों और 20 राज्य सहकारी बैंकों के माध्यम से कार्यान्वित की जानी थीं। वर्ष के दौरान निगम के अधिकारियों ने 126 योजनाओं की आर्थिक संभाव्यता का पता लगाने के लिये उनका अध्ययन पूरा किया। निगम की अपनी नाभिका के तकनीकी विशेषज्ञों के अलावा नलकूप अन्वेषी संगठन, भारतीय भू-विज्ञान सर्वेक्षण संस्था और चाय बोर्ड, काफी बोर्ड, रबड़ बोर्ड तथा इलायची बोर्ड से भी 125 परियोजनओं की संभाव्यता के संबंध में तकनीकी अध्ययन प्राप्त हुए हैं।

निगम के कार्यकलापों का एक महत्वपूर्ण विस्तार स्वीकृत योजनाओं के लिये ऋण के उपयोग का अध्ययन करना है भले ही ये योजनाएँ आंशिक रूप से चालू हुई हों। इन अध्ययनों से योजनाओं की कार्यान्विति में सुधार लाने के जो सुझाव सामने आये हैं उनकी सूचना राज्य सरकारों तथा वित्त व्यवस्था करने वाले बैंकों को दे दी गई है ताकि वे इस संबंध में आवश्यक कार्रवाही कर सकें।

1969–70 में निगम ने जिन 147 योजनाओं को स्वीकृति प्रदान की है वे इस प्रकार हैं, भूमि सुधार बैंकों से प्राप्त 85, राज्य सहकारी बैंकों से प्राप्त 7 और अनुसूचित वाणिज्य बैंकों से प्राप्त 55 योजनाएँ। वर्ष के दौरान 108 योजनाएँ या तो वापस ले ली गयीं या उन्हें प्रथम दृष्टिया अस्वीकार्य पाया गया, इनमें से 68 योजनाएँ केन्द्रीय भूमि विकास बैंकों, 36 अनुसूचित वाणिज्य बैंकों और 4 राज्य सहकारी बैंकों से प्राप्त हुई थीं। इस प्रकार 30 जून, 1970 तक ऐसी 225 योजनाएँ निगम के विचाराधीन थीं जिनके लिये 217.56 करोड़ रुपयों की वित्तीय व्यवस्था की जानी है। विचाराधीन योजनाओं में निम्नलिखित योजनाएँ शामिल हैं : भूमि विकास बैंकों से प्राप्त 143 योजनाएँ जिनके लिये वित्तीय व्यवस्था की अनुमानित राशि 197.72 करोड़ रुपये है, अनुसूचित वाणिज्य बैंकों से प्राप्त 52 योजनाएँ जिनके लिये वित्तीय व्यवस्था की अनुमानित राशि 3.09 करोड़ रुपये है तथा राज्य सहकारी बैंकों से प्राप्त 30 योजनाएँ जिनके लिये वित्तीय व्यवस्था की अनुमानित राशि 16.75 करोड़ रुपये है। 30 जून, 1970 को निगम के पास जो योजनाएँ विचाराधीन थीं उनका राज्य तथा विकास के प्रयोजनों के अनुसार वितरण परिशिष्ट पांच में दिया गया है।

संवर्धनात्मक प्रयत्न

निगम के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक ने नई योजनाएँ तैयार करने को बढ़ावा देने तथा पहले से मंजूर की गई योजनाओं को शीघ्रता से पूरा करने की दृष्टि से राज्य सरकारों से प्रतिनिधियों से विचारविमर्श किया।

रिज़र्व बैंक आफ इंडिया के बैंकर्स ट्रेनिंग कालेज, बम्बई तथा को-आपरेटिव बैंकर्स ट्रेनिंग कालेज पूना ने सहकारी तथा वाणिज्य बैंकों के लाभ के लिये कृषि वित्त में पाठ्यक्रम चलाए। इनमें भाग लेनेवाले व्यक्तियों को निगम के कार्यकलापों से अवगत कराने के उद्देश्य से निगम के अधिकारियों ने ऐसे पाठ्यक्रमों के दौरान व्याख्यान दिये। भूमि विकास बैंक के प्रबन्ध अधिकारियों के लाभ के लिये परियोजनाओं के आयोजन एवं मूल्यांकन के विषयों पर पूना में दो विशेष पाठ्यक्रम चलाये गये। निगम के अधिकारी इन पाठ्यक्रमों से भी सम्बद्ध थे।

जिन क्षेत्रों को विशेष रूप से पुनर्वित्त सुविधा का लाभ नहीं मिला है, उनमें निगम द्वारा पुनर्वित्त प्रदान की जाने वाली योजनाएँ तैयार करने के लिये सरकारों और वित्त व्यवस्था करने वाली संस्थाओं की सहायता करने की दृष्टि से निगम ने ये नये क्षेत्रीय कार्यालय खोले हैं : गुजरात में अहमदाबाद, मध्य प्रदेश में भोपाल, उड़ीसा में भुवनेश्वर, राजस्थान में जयपुर, बिहार में पटना और केरल में त्रिवेन्द्रम।

ऋण संबंधी नीतियाँ

भूमि विकास बैंक

निगम को यह आशा है कि वह रिज़र्व बैंक के गर्वनर द्वारा गठित अखिल भारतीय ग्रामीण ऋण पुनरीक्षण समिति (1969) की सिफारिशों पर छोटे किसानों के लिये बनाई गई उस योजना में सक्रिय रूप से भाग लेगा जिसकी इस बीच भारत सरकार ने पहल कर दी है। निगम ने हाल में ही ऐसी योजनाओं के लिये 30 जून, 1971 तक पूरा पुनर्वित्त प्रदान करने का निश्चय किया है जो छोटे किसानों की विकास एजेंसियों द्वारा शुरू की गई कृषि विकास की व्यवहार्य योजनाएँ हों और जिनके लिये निगम ने केन्द्रीय भूमि विकास बैंकों अथवा वाणिज्य बैंकों के माध्यम से वित्त व्यवस्था की हो।

राज्य सरकारों को 30 जून, 1970 तक के लिये यह सुविधा दी गई थी कि वे छोटी सिंचाई योजनाओं की वित्त व्यवस्था करने के उद्देश्य से केन्द्रीय भूमि विकास बैंक द्वारा जारी किये जाने वाले विशेष विकास डिबेंचरों में अपना अभिदान घटे हुए अर्थात् कम से कम 10 प्रतिशत के हिसाब से कर सकते हैं जबकि अन्य प्रकार की योजनाओं के अधीन उनके लिये यह अनिवार्य है कि वे 25 प्रतिशत का अभि- दान करें। इस अवधि को अब एक वर्ष के लिये अर्थात् 30 जून, 1971 तक बढ़ा दिया गया है।

लघु सिंचाई की योजनाएँ तैयार करने के मार्गदर्शी सिद्धांतों में इस दृष्टि से संशोधन किया गया है। कि वित्त व्यवस्था करने वाले बैंकों और राज्य सरकारों को संबंधित योजनाओं के आर्थिक पहलू की महत्वपूर्ण जानकारी तथा उनसे संबंधित जल भौमिकी की जानकारी देने वाली ब्यौरेवार योजनाएँ तैयार करने में सहायता मिल सके।

वाणिज्य बैंक

निजी उद्यमकर्ताओं, साझेदारी की फर्मों तथा कम्पनियों से प्राप्त होनेवाली योजनाओं के लिये खास तौर पर निगम से शीघ्र ही पुनर्वित्त प्राप्त करने में वाणिज्य बैंकों को सहायता पहुँचाने की दृष्टि से निगम ने अब 5 लाख रुपयों से अधिक न होने वाली इन योजनाओं की जांच पड़ताल का काम संबंध राज्यों में स्थित अपने क्षेत्रीय कार्यालयों को सौंप दिया है। पहले निगम ने हर तरह के उद्देश्यों के लिये एक सा आवेदन पत्र निर्धारित किया था। इस वर्ष निगम ने विभिन्न उद्देश्यों के लिये अलग अलग आवेदन पत्र निर्धारित किये हैं ताकि वाणिज्य बैंकों को विशिष्ट प्रकार की योजना के संबंध में विशेष जानकारी देने में आसानी हो। चाय, काफी, रबड़ और इलायची आदि के बागानों की 5.00 लाख रुपये या उससे कम लागतवाली विकास योजनाओं के लिये निर्धारित आवेदन पत्र को पर्याप्त रूप से सरल बना दिया गया ताकि वह छोटे बागान मालिकों की आवश्यकताओं के अनुरूप हो सके।

प्रशासन और लेखे

क्षेत्रीय कार्यालय

निगम पहले ही बंगलौर, कलकत्ता, चन्डीगढ़, कोयम्बत्तूर, हैदराबाद, कानपुर, और नई दिल्ली में 7 क्षेत्रीय कार्यालय खोल चुका है। उसने इस वर्ष अहमदाबाद, भोपाल, भुवनेश्वर, जयपुर,

पटना और त्रिवेन्द्रम में छः और क्षेत्रीय कार्यालय खोले हैं जिससे क्षेत्रीय कार्यालयों की संख्या 13 हो गई है। निगम का कोयम्बत्तूर स्थित कार्यालय इस वर्ष वहां से मद्रास ले जाया गया है। महाराष्ट्र की योजनाओं पर ध्यान देने के लिये बम्बई में एक पृथक् यूनिट खोली गई है।

काम में हुई वृद्धि को निपटाने के लिये इस वर्ष निगम के कर्मचारी वर्ग की स्वीकृति संख्या में, विशेषकर अधिकारी स्तर पर, वृद्धि करने और राज्य सरकारों के अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति करने के लिये कदम उठायें गये। साथ ही निगम के मुख्य कार्यालय में एक छोटा तकनीकी प्रभाग भी खोला गया है। इस विस्तार और कर्मचारी वर्ग में बढ़ोतरी के फलस्वरूप इस वर्ष कर्मचारी वर्ग पर अतिरिक्त खर्च करना पड़ा और भविष्य में भी यह खर्च जारी रहेगा।

सदस्यता

इस वर्ष दो और अनुसूचित वाणिज्य बैंक, नामतः तमिलनाड मर्कन्टाइल बैंक लि० और सांगरी बैंक लि०, निगम के सदस्य बन गये। इस वर्ष हरियाणा राज्य सहकारी बैंक की भी निगम के शेयरधारी के रूप में रजिस्ट्री की गई। निगम की पूंजी में विभिन्न वर्गों के शेयरधारियों का अंशदान 30 जून, 1970 को नीचे लिखे अनुसार था :

लाख रुपये

संस्था	शेयरधारियों की संख्या	किस धारा के अधीन वे शेयरधारी हैं	शेयरों की संख्या	शेयरों का मूल्य
रिज़र्व बैंक आफ इंडिया	1	5(2) (क) 5(4)	2,500 442	250.00 44.20
केन्द्रीय भूमि विकास बैंक	18			
राज्य सहकारी बैंक	21	5(2) (ख)	1,356	135.60
अनुसूचित वाणिज्य बैंक	40			
भारतीय जीवन बीमा निगम	1	5(2) (ग)	702	70.20
अन्य बीमा और निवेश कम्पनियां	2			
सहकारी बीमा कम्पनियां	2			
	85		5,000	500.00

30 जून, 1970 के दिन जो शेयरधारी थे उनकी सूची परिशिष्ट छः में दी गई है।

लेखे

परिशिष्ट नौ में दिये गये लेखा विवरण से यह मालूम होगा कि सा खर्चों और कर के दायित्वों को पूरा करने के बाद निगम को 1969–70 के दौरान 30.27 लाख रुपयों का शुद्ध लाभ हुआ है। पिछले वर्ष से आगे लाया गया 228.84 रुपयों का अवितरित लाभ मिलाकर विनियोजन के लिये उपलब्ध कुल शुद्ध लाभ 30,27,526,18 रुपये होता है जिसे निदेशकों ने नीचे लिखे अनुसार निपटाने की सिफारिश की है :

पूरे प्रारंभिक व्यय को बट्टे खाते डालने के लिये	9,431.71
आरक्षित निधि में अन्तरित करने के लिये	8,93,000.00
शेयरधारियों की $4\frac{1}{4}$ प्रतिशत वार्षिक की दर पर लाभ अदा करने के लिये	21,25,000.00
अवितरित लाभ	94.47
	30,27,526.18

निदेशक बोर्ड

इस वर्ष निदेशक बोर्ड की नौ बैठकें हुई। कृषि पुनर्वित्त निगम अधिनियम की धारा 10 (ग) के अधीन भारत सरकार ने क्रमशः श्री बी० आर० पटेल और श्री डी० एन० घोष के स्थान पर श्री टी० पी० सिंह और श्री के० राममूर्ति को निगम के निदेशक बोर्ड के लिए नामित किया। श्री के० माधव दास को 16 मई, 1969 से एक वर्ष के लिये निगम का प्रबन्ध निदेशक नियुक्त किया गया। उनका कार्यकाल 31 दिसम्बर, 1971 तक बढ़ा दिया गया है।

निदेशक बोर्ड श्री बी० आर० पटेल, और श्री डी० एन० घोष द्वारा निगम के प्रति की गई उनकी अमूल्य सेवाओं के लिये अपना हार्दिक आभार प्रकट करता है।

निदेशकों की ओर से
पी० एन० डामरी
अध्यक्ष

15 अगस्त, 1970

परिशिष्ट एक

30 जून 1970 तक निगम द्वारा मंजूर की गयी योजनाओं का उद्देश्य के अनुसार वितरण*

करोड़ रुपये

योजना का उद्देश्य	योजनाओं की संख्या	वित्तीय सहायता		निगम के वायदे	राज्य सरकारों, बैंकों और पार्टियों के वायदे	निगम से आहरित ऋण और उसके द्वारा अभिदत्त डिबेंचर
		राशि	कुल राशि से प्रतिशत			
1	2	3	4	5	6	7
लघु सिंचाई का विकास	186	156.32	60.23	140.59	15.73	35.16
भूमि विकास	39	59.30	22.85	42.37	16.93	15.25
ट्रैक्टरों / शक्तिचालित हलों की सहायता से खेतों का मशीनीकरण	9	5.52	2.13	4.14	1.38	0.30
भूमि संरक्षण	2	2.38	0.92	2.14	0.24	1.95
बागानों और फलोद्यानों का विकास	115	22.24	8.57	17.60	4.64	3.57
मुर्गीपालन	6	0.51	0.20	0.44	0.07	0.07
मीन उद्योग का विकास	8	4.98	1.92	3.50	1.48	0.92
डेरी विकास	2	0.86	0.33	0.31	0.55	—
गोदामों का निर्माण	4	7.40	2.85	3.80	3.60	1.87
	371	259.51		214.89	44.62	59.09

*वापस ले ली गई और फिर से प्रावस्थाबद्ध योजनाओं के लिए समायोजन करने के बाद।

परिशिष्ट दो

30 जून 1970 तक निगम द्वारा मंजूर की गयी योजनाओं का वित्त व्यवस्था करनेवाली एजेन्सियों के अनुसार वितरण*

करोड़ रुपये

वित्त व्यवस्था करनेवाली एजेन्सी का प्रकार	योजनाओं की संख्या	वित्तीय सहायता		निगम के वायदे	राज्य सरकारों, बैंकों और पार्टियों के वायदे	निगम से आहरित ऋण और निगम द्वारा अभिदत्त डिबेंचर
		राशि	कुल राशि से प्रतिशत			
1	2	3	4	5	6	7
केन्द्रीय भूमि विकास बैंक	261	224.57	86.53	193.58	30.99	54.60
राज्य सहकारी बैंक	16	14.41	5.56	9.33	5.08	2.85
अनुसूचित वाणिज्य बैंक	94	20.53	7.91	11.98	8.55	1.64
	371	259.51		214.89	44.62	59.09

*वापस ले ली गई और फिर से प्रावस्थाबद्ध योजनाओं के लिए समायोजन करने के बाद।

परिशिष्ट तीन

30 जून 1970 तक निगम द्वारा मंजूर की गयी योजनाओं का राज्यों के अनुसार वितरण*

करोड़ रुपये

राज्य / संघशासित क्षेत्र	योजनाओं की संख्या	वित्तीय सहायता		निगम के वायदे	राज्य सरकारों, बैंकों और पार्टियों के वायदे	निगम द्वारा आहरित ऋण और उसके द्वारा अभिदत्त डिबेंचर	कुल से प्रतिशत
		राशि	कुल राशि से प्रतिशत				
1	2	3	4	5	6	7	8
आंध्र प्रदेश	70	38.39	14.78	33.24	5.15	14.16	23.96
असम	8	1.13	0.44	1.02	0.11	0.73	1.24
बिहार	5	13.79	5.30	11.56	2.23	0.79	1.34
दिल्ली	1	0.09	0.03	0.09	—	0.06	0.10
गुजरात	40	23.92	9.21	20.59	3.33	3.38	5.72
हरियाणा	11	14.27	5.49	12.69	1.58	5.66	9.58
जम्मू और काश्मीर	3	1.85	0.71	1.39	0.46	0.53	0.90
केरल	15	5.84	2.25	4.49	1.35	0.52	0.88
मध्य प्रदेश	15	15.10	5.89	13.55	1.55	0.80	1.35
महाराष्ट्र	18	14.79	5.70	12.86	1.93	5.38	9.10
मैसूर	72	31.30	12.05	25.86	5.44	4.27	7.23
उड़ीसा	8	2.00	0.77	1.55	0.45	0.22	0.37
पंजाब	27	32.45	12.50	28.83	3.62	13.07	22.12
राजस्थान	10	7.56	2.91	6.71	0.85	0.84	1.42
तमिलनाडु	41	24.60	9.48	20.70	3.90	4.88	8.26
उत्तर प्रदेश	21	30.26	11.66	18.15	12.11	3.78	6.40
पश्चिम बंगाल	6	2.17	0.84	1.61	0.56	0.02	0.03
	371	259.51		214.89	44.62	59.09	

*वापस ले ली गई और फिर से प्रावस्थाबद्ध योजनाओं के लिए समायोजन करने के बाद ।

परिशिष्ट चार

राज्य, वित्त व्यवस्था करनेवाली एजेन्सी और योजनाओं के उद्देश्य के अनुसार 30 जून 1970 को समाप्त हुए वर्ष में निगम के डिबेंचरों में अभिदान की गयी राशि और उससे आहरित ऋण

लाख रुपये

राज्य का नाम	वित्त व्यवस्था करनेवाली एजेन्सी	योजना का स्वरूप	जारी किये गये डिबेंचरों और जुटाये गये ऋणों की कुल राशि	निगम के डिबेंचरों में अभिदान और निगम से आहरित ऋण	राज्य सरकारों, बैंकों और पार्टियों का अंशदान
1	2	3	4	5	6
आन्ध्र प्रदेश	केन्द्रीय भूमि विकास बैंक	लघु सिंचाई	479.800	431.820	47.980
	-वही-	भूमि उद्धार	223.500	175.441	48.059
			703.300	607.261	96.039
असम	अनुसूचित वाणिज्य बैंक	बागान/बागबानी	4.000	4.000	—
बिहार	केन्द्रीय भूमि विकास बैंक	लघु सिंचाई	68.000	61.200	6.800
दिल्ली	राज्य सहकारी बैंक	मुर्गी पालन	6.420	6.420	—
गुजरात	केन्द्रीय भूमि विकास बैंक	लघु सिंचाई	146.000	131.400	14.600
हरियाणा	केन्द्रीय भूमि विकास बैंक	लघु सिंचाई	267.500	240.750	26.750
	-वही-	बागान/बागबानी	14.700	11.025	3.675
	-वही-	ट्रैक्टर	15.000	11.250	3.750
			297.200	263.025	34.175
जम्मू और काश्मीर	केन्द्रीय भूमि विकास बैंक	बागान/बागबानी	27.000	20.250	6.750
केरल	-वही-	लघु सिंचाई	10.000	9.000	1.000
	-वही-	बागान/बागबानी	18.000	13.500	4.500
	अनुसूचित वाणिज्य बैंक	बागान/बागबानी	12.485	12.485	—
			40.485	34.985	5.500
मध्य प्रदेश	केन्द्रीय भूमि विकास बैंक	लघु सिंचाई	50.500	45.450	5.050
		भूमि उद्धार	4.500	3.375	1.125
			55.000	48.825	6.175
महाराष्ट्र	केन्द्रीय भूमि विकास बैंक	लघु सिंचाई	341.770	307.596	34.174
		भूमि संरक्षण	45.580	41.022	4.558
			387.350	348.618	38.732

परिशिष्ट चार—जारी

राज्य, वित्त व्यवस्था करनेवाली एजेन्सी और योजनाओं के उद्देश्य के अनुसार 30 जून 1970 को समाप्त हुए वर्ष में निगम के डिबेंचरों में अभिदान की गयी राशि और उससे आहरित ऋण

लाख रुपये

राज्य का नाम	वित्त व्यवस्था करनेवाली एजेन्सी	योजना का स्वरूप	जारी किये गये डिबेंचरों और जुटाये गये ऋणों की कुल राशि	निगम के डिबेंचरों में अभिदान और निगम से आहरित ऋण	राज्य सरकारों, बैंकों और पार्टियों का अंशदान
1	2	3	4	5	6
मैसूर	केन्द्रीय भूमि विकास बैंक	लघु सिंचाई	32.700	29.430	3.270
		भूमि उद्धार	74.900	56.175	18.725
		बागान/बागबानी	42.400	31.800	10.600
	राज्य सहकारी बैंक	मीन उद्योग	31.150	31.150	—
	अनुसूचित वाणिज्य बैंक	शक्तिचालित हल	4.350	4.350	—
		लघु सिंचाई	8.080	8.080	—
	-वही-	बागान/बागबानी	5.350	5.350	—
			198.930	166.335	32.595
उड़ीसा	केन्द्रीय भूमि विकास बैंक	भूमि उद्धार	2.810	2.107	0.703
		बागान/बागबानी	18.000	16.200	1.800
			20.810	18.307	2.503
पंजाब	केन्द्रीय भूमि विकास बैंक	लघु सिंचाई	629.760	566.784	62.976
		भूमि उद्धार	0.240	0.180	0.060
	राज्य सहकारी बैंक	गोदाम	87.200	87.200	—
			717.200	654.164	63.036
राजस्थान	केन्द्रीय भूमि विकास बैंक	लघु सिंचाई	83.400	75.060	8.340
		भूमि उद्धार	2.200	1.500	0.550
			85.600	76.710	8.890
तमिलनाडु	केन्द्रीय भूमि विकास बैंक	लघु सिंचाई	79.750	71.775	7.975
		भूमि उद्धार	70.000	52.500	17.500
		बागान/बागबानी	15.400	11.550	38.50
	अनुसूचित वाणिज्य बैंक	बागान/बागबानी	22.261	22.261	—
	राज्य सहकारी बैंक	मीन उद्योग	4.010	4.010	—
			191.421	162.096	29.325
उत्तर प्रदेश	केन्द्रीय भूमि विकास बैंक	लघु सिंचाई	283.970	255.573	28.397
पश्चिम बंगाल	केन्द्रीय भूमि विकास बैंक	बागान/बागबानी	1.300	0.975	0.325
		कुल जोड़	3233.986	2860.144	373.842

परिशिष्ट पांच

30 जून 1970 को निगम के विचाराधीन योजनाओं का राज्य और उद्देश्य के अनुसार वितरण

लाख रुपये

राज्य	उद्देश्य	योजनाओं कीसंख्या	वित्तीय सहायता	निगम का अंशदान
1	2	3	4	5
आन्ध्र प्रदेश	लघु सिंचाई	19	1261.30	1135.17
	भूमि उद्धार	4	516.80	367.10
	ट्रैक्टर	1	750.00	562.50
		24	2528.10	2064.77
असम	बागान/बागवानी	3	54.30	27.15
बिहार	गोदाम	1	229.10	229.10
	डेरी	2	74.25	74.25
	लघु सिंचाई	1	168.09	151.28
		4	471.44	454.63
दिल्ली	मुर्गीपालन	1	15.96	7.98
गुजरात	लघु सिंचाई	15	843..00	758.70
	ट्रैक्टर	2	165.00	123.75
		17	1008.00	882.45
हरियाणा	गोदाम	1	19.41	19.41
	डेरी	1	60.00	45.00
	लघु सिंचाई	2	298.00	268.20
		4	377.41	332.61
हिमाचल प्रदेश	बागान/बागबानी	1	39.00	29.25
केरल	भूमि उद्धार	1	56.00	42.00
	भूमि संरक्षण	1	25.00	18.75
	बागान/बागबानी	6	34.06	22.86
		8	115.06	83.61
मध्य प्रदेश	गोदाम	1	193.00	144.75
	डेरी	1	159.00	159.00
	लघु सिंचाई	8	807.53	726.78
	ट्रैक्टर	1	75.68	56.76
		11	1235.21	1087.29
महाराष्ट्र	मीन उद्योग	2	29.38	17.54
	डेरी	1	91.33	55.33
	बागान/बागबानी	3	135.00	105.00
	लघु सिंचाई	24	433.25	390.10
	मुर्गीपालन	1	2.00	1.00
	भूमि उद्धार	1	41.00	30.75
		32	731.96	599.72

परिशिष्ट पांच—(जारी)

30 जून 1970 को निगम के विचाराधीन योजनाओं का राज्य और उद्देश्य के अनुसार वितरण—(जारी)

1	2	3	4	5
मैसूर	गोदाम	2	437.42	328.07
	बागान/बागबानी	11	135.64	95.40
	लघु सिंचाई	20	1350.42	1185.05
	भूमि उद्धार	1	35.02	26.27
	भूमि संरक्षण	1	110.88	83.16
	डेरी	1	2.00	1.00
		36	2071.38	1718.95
उड़ीसा	बागान/बागबानी	1	77.28	56.16
	लघु सिंचाई	2	23.03	20.73
		3	100.31	76.89
	कृषि विमानन	1	48.13	48.13
पंजाब	लघु सिंचाई	6	1850.00	1665.00
	ट्रैक्टर	1	2128.00	1596.00
		8	4026.13	3309.13
राजस्थान	लघ् सिंचाई	3	112.86	101.57
तिमलनाडु	लघु सिंचाई	26	4725.40	4252.42
	ट्रैक्टर	1	1050.00	787.50
	बागान/बागबानी	6	9.70	4.85
	मोनउद्योग	1	2.04	1.02
	मुर्गी पालन	1	11.91	9.89
	डेरी	1	29.25	21.94
	भेड़ पालन	13	20.15	20.15
		49	5848.45	5097.77
गोवा, दमन और डयू के संघ शासित क्षेत्र	मीन उद्योग	1	184.10	135.76
उत्तर प्रदेश	लघु सिंचाई	18	2831.04	2547.94
	बागान/बागबानी	1	2.80	1.40
		19	2833.84	2549.34
परिश्चम बंगाल	मुर्गीपालन	1	2.08	1.04
		225	21755.59	18559.91

परिशिष्ट छः

30 जून 1970 को शेयरधारियों की सूची

केन्द्रीय भूमि विकास बैंक

1. आंध्र प्रदेश सहकारी केन्द्रीय भूमि बन्धन बैंक लिमिटेड
2. असम सहकारी केन्द्रीय भूमि बन्धक बैंक लिमिटेड
3. बिहार राज्य सहकारी भूमि बन्धक बैंक लिमिटेड
4. बम्बई राज्य सहकारी भूमि बन्धक बैंक लिमिटेड
5. गुजरात राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक लिमिटेड
6. हरियाणा राज्य सहकारी भूमि बन्धक बैंक लिमिटेड
7. जम्मू और काश्मीर सहकारी केन्द्रीय भूमि विकास बैंक लिमिटेड
8. केरल सहकारी केन्द्रीय भूमि बन्धक बैंक लिमिटेड
9. मध्य प्रदेश राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक लिमिटेड
10. मैसूर राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक लिमिटेड
11. उड़ीसा राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक लिमिटेड
12. पांडिचेरी राज्य सहकारी भूमि बन्धक बैंक लिमिटेड

परिशिष्ट छः—(जारी)

30 जून 1970 को शेयरधारियों की सूची—(जारी)

1	2	3	4

13. पंजाब राज्य सहकारी भूमि बन्धक बैंक लिमिटेड
14. राजस्थान केन्द्रीय सहकारी भूमि बन्धक बैंक लिमिटेड
15. तमिलनाडु सहकारी राज्य भूमि विकास बैंक लिमिटेड
16. त्रिपुरा सहकारी भूमि बन्धक बैंक लिमिटेड
17. उत्तर प्रदेश राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक लिमिटेड
18. पश्चिम बगाल केन्द्रीय सहकारी भूमि बन्धक बैंक लिमिटेड

राज्य सहकारी बैंक

19. आंध्र प्रदेश राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड
20. असम सहकारी शिखर बैंक लिमिटेड
21. बिहार राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड
22. दिल्ली राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड
23. गुजरात राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड
24. हरियाणा राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड
25. हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड
26. जम्मू और काश्मीर राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड
27. केरल राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड
28. मध्य प्रदेश राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड
29. महाराष्ट्र राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड
30. मणिपुर राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड
31. मैसूर राज्य सहकारी शिखर बैंक लिमिटेड
32. उड़ीसा राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड
33. पांडिचेरी राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड
34. पंजाब राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड
35. राजस्थान राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड
36. तमिलनाडु राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड
37. त्रिपुरा राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड
38. उत्तर प्रदेश सहकारी बैंक लिमिटेड
39. पश्चिम बंगाल राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड

अनुसूचित बैंक

40. इलाहाबाद बैंक
41. दि आंध्र बैंक लिमिटेड
42. बैंक ऑफ बड़ोदा
43. दि बैंक आफ बिहार लिमिटेड
44. बैंक ऑफ इंडिया
45. बैंक ऑफ मदुरा लिमिटेड
46. बैंक ऑफ महाराष्ट्र
47. दि बनारस स्टेट बैंक लिमिटेड
48. कैनरा बैंक
49. दि कैनरा बैंकिंग कार्पोरेशन लिमिटेड
50. सेंट्रल बैंक आफ इंडिया
51. दि चार्टर्ड बैंक
52. देना बैंक
53. दि हाँग काँग एण्ड शंघाई बैंकिंग कार्पोरेशन
54. इंडियन बैंक
55. इंडियन ओवरसीज़ बैंक
56. दि कर्नाटक बैंक लिमिटेड
57. दि कुंभकोणम सिटी यूनियन बैंक लिमिटेड
58. मर्केन्टाइल बैंक लिमिटेड
59. नेशनल एण्ड ग्रिंडलेज बैंक लिमिटेड
60. दि नेडुंगाडी बैंक लिमिटेड
61. पंजाब नेशनल बैंक
62. दि रत्नाकर बैंक लिमिटेड
63. दि सांगली बैंक लिमिटेड
64. स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद
65. स्टेत बैंक ऑफ़ इंडिया
66. स्टेट बैंक ऑफ इंदौर
67. स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपूर
68. स्टेट बैंक ऑफ मैसूर
69. स्टेट बैंक ऑफ़ पटियाला
70. स्टेट बैंक ऑफ़ सौराष्ट्र
71. स्टेट बैंक ऑफ़ त्रावणकोर
72. दि साउथ इंडियन बैंक लिमिटेड
73. सिंडीकेट बैंक
74. तमिलनाडु मर्केन्टाइल बैंक लिमिटेड
75. यूनियन बैंक ऑफ़ इंडिया
76. युनाइटेड बैंक ऑफ़ इंडिया
77. युनाइटेड कमर्शियल बैंक
78. दि विजया बैंक लिमिटेड
79. दि वैश्य बैंक लिमिटेड

अन्य शेयर धारी

80. रिज़र्व बैंक आफ़ इंडिया
81. भारतीय जीवन बीमा निगम
82. दि न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड
83. सरस्वती बीमा कंपनी लिमिटेड
84. सहकारी आग और सामान्य बीमा समिति लिमिटेड
85. सहकारी सामान्य बीमा समिति लिमिटेड

परिशिष्ट सात

लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट

हमने कृषि पुनर्वित्त निगम के 30 जून 1970 तक के संलग्न तुलनपत्र और निगम के उक्त तारीख को समाप्त हुए वर्ष के संलग्न लाभ-हानि लेखे की जाँच की है और हम यह सूचित करते हैं कि

(1) हमने जो जानकारी और स्पष्टीकरण मांगे थे वे सब हमें प्राप्त हुए और वे संतोषजनक पाये गये ।

(2) हमारी राय में और जहाँ तक हमारी जानकारी है यह तुलनपत्र हमें दिये गये स्पष्टीकरणों और निगम की बहियों के अनुसार पूर्ण और सही तुलनपत्र है जिसमें सभी आवश्यक विवरण दिये गये हैं और यह तुलनपत्र निगम के अधिनियम और सामान्य विनियमों के अनुसार उचित ढंग से तैयार किया गया है ताकि निगम के कार्यों की सच्ची और सही हालत का पता लग सके ।

11 अगस्त 1970
49 अपोलो स्ट्रीट, बम्बई

के० एस० अय्यर एण्ड कं०
सनदी लेखापाल

परिशिष्ट

कृषि पुनर्वित्त

30 जून 1970

देयताएँ	रु०	पै०	रु०	पै०	रु०	पै०	30 जून 1969 को रु०	पै०
1. **पूंजी**								
प्राधिकृत								
10,000 रुपयों वाले 25,000 शेयर					25,00,00,000.00		25,00,00,000.00	
जारी किये गये, अभिदत्त और प्रदत्त								
10,000 रुपयों वाले 5,000 प्रदत्त शेयर					5,00,00,000.00		5,00,00,000.00	
2. **आरक्षित निधि और अधिशेष**								
आरक्षित निधि								
पिछले तुलनपत्र के अनुसार बकाया	16,000.00						5,000.00	
जोड़िये : लाभ-हानि लेखे से अंतरित	8,93,000.00						11,000.00	
			9,09,000.00				16,000.00	
लाभ-हानि लेखा								
आगे लाया गया लाभ	228.84						—	
इस वर्ष का लाभ	30,27,297.34						21,38,115.84	
	30,27,526.18						21,38,115.84	
घटाइये : बट्टे खाते डाला गया प्रारंभिक व्यय	9,431.71						1,887.00	
	30,18,094.47						21,36,228.84	
घटाइये : आरक्षित निधि को अंतरित	8,93,000.00						11,000.00	
	21,25,094.47						21,25,228.84	
लाभांश की व्यवस्था के लिए अंतरित	21,25,000.00						21,25,000.00	
			94.47				228.84	
					9,09,094.47			
आगे ले जाया गया					5,09,09,094.47		5,00,16,228.84	

आठ

निगम

को तुलनपत्र

आस्तियाँ	रु० पै०	रु० पै०	30 जून 1969 को रु० पै०
1. **नकदी**			
(क) हाथ में	388.64		799.65
(ख) रिज़र्व बैंक ऑफ़ इंडिया के पास	25,796.35		49,990.58
(ग) दूसरों के पास :			
(i) भारत में	9,418.15		6,994.55
(ii) विदेश में	—		—
		35,603.14	57,784.78
2. **ऋण**			
(क) पुनर्वित्त के रूप में	4,29,26,693.00		2,54,94,645.00
(ख) दूसरे	—		—
घटाइये : अशोध्य और संदिग्ध ऋणों के लिए व्यवस्था	—		—
3. **डिबेंचर**		4,29,26,693.00	2,54,94,645.00
		54,60,37,600.00	27,85,53,750.00
4. **केन्द्रीय सरकार की प्रतिभूतियों में निवेश (लागत के अनुसार)**		2,49,85,544.50	51,45,041.00
(अंकित मूल्य रु० 2,46,16,300.00)			
(बाज़ार मूल्य रु० 2,49,85,544.50)			
5. **निवेशों पर प्रोद्भूत ब्याज**		6,24,296.72	1,29,192.04
आगे ले जाया गया		61,46,09,737.36	30,93,80,412.82

परिशिष्ट

कृषि पुनर्वित

30 जून 1970

देयताएँ	रु०	पै०	रु०	पै०	30 जून 1969 को रु०	पै०
आगे लाया गया			5,09,09,094.47		5,00,16,228.84	
3. **विशेष जमा**			74,00,043.10		61,48,843.10	
4. **गारंटीकृत लाभांश के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा अदा की गयी राशि** (अधिनियम की धारा 6)			14,13,896.05		14,13,896.05	
5. **बांड और डिबेंचर** ($5\frac{3}{4}$% कृषि पुनर्वित्त निगम बांड 1982)			10,93,77,000.00		—	
6. **केन्द्रीय सरकार से लिये गये ऋण**						
(क) अधिनियम की धारा 19 के अधीन	5,00,00,000.00				5,00,00,000.00	
(ख) दूसरे ऋण	39,75,00,000.00				20,75,00,000.00	
			44,75,00,000.00		25,75,00,000.00	
7. **दूसरे उधार**						
(क) रिजर्व बैंक आफ़ इंडिया से			—		—	
(ख) दूसरों से						
(i) भारत में			—		—	
(ii) विदेश में			—		—	
8. **सावधिक जमा**						
(क) केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार की			—		—	
(ख) दूसरों की			—		—	
9. **लाभांश की व्यवस्था**						
लाभ-हानि लेखे से अंतरित की गयी रकम	21,25,000.00				21,25,000.00	
जोड़िये : अधिनियम की धारा 6 के साथ पढ़ी जानेवाली धारा 28 (दुतरफा लाभांश घाटा लेखा देखिए) के अनुसार केन्द्रीय सरकार द्वारा की जानेवाली अदायगी	—				—	
			21,25,000.00		21,25,000.00	
आगे ले जाया गया			61,87,25,033.62		31,72,03,967.99	

आठ
निगम
को तुलनपत्र (चालू)

आस्तियां					30 जून 1969 को रु० पै०
आगे लाया गया				61,46,09,737.36	30,93,80,412.82
6. दूसरी आस्तियां	रु० पै०				
(क) फर्नीचर, जुड़नार, कार्यालयीन उपस्कर आदि (3-6-1969 तक का मूल्य)	1,25,596.89				1,38,041.19
जोड़िये : इस वर्ष की वृद्धि	52,924.36				18,610.65
	1,78,521.25				1,56,651.84
घटाइये : बेची गयी/समंजित मदें	217.20				31,054.95
	1,78,304.05				1,25,596.89
घटाइये : आज की तारीख तक का मूल्यह्रास	48,964.47				32,369.82
		1,29,339.58			93,227.07
(ख) सरकारी विभागों और दूसरी संस्थाओं के पास जमा		36,841.66			28,379.16
(ग) कुटकर अग्रिम		1,31,080.41			46,49,361.48
(घ) डिबेंचरों पर प्रोद्भूत ब्याज		1,39,49,388.96			69,46,150.58
(ङ) पुनर्वित के रूप में दिये गये ऋणों पर प्रोद्भूत ब्याज		10,43,059.17			3,11,096.42
(च) प्रारंभिक व्यय	9,431.71				11,318.71
घटाइये : इस वर्ष बट्टे खाते डाला गया	9,431.71				1,887.00
		कुछ नहीं			9,431.71
(छ) लाभांश घाटा लेखा		4,13,1896.05			14,13,896.05
				1,67,03,605.83	1,34,51,542.47
आगे ले जाया गया				63,13,13,343.19	32,28,31,955.29

परिशिष्ट

कृषि पुनर्वित्त

30 जून 1970

देयताएं	रु०	पै०	30 जून 1970 को रु०	पै०	रु०	पै०
आग लाया गया			61,87,25,033.62		31,72,03,967.99	
10. कराधान की व्यवस्था			20,82,505.62		20,25,514.62	
11. दूसरी देयताएँ						
अनियमित लेनदार			6,41,163.43		3,67,883.62	
निम्नलिखित पर प्रोद्भूत ब्याज, जो देय नहीं है						
(क) केन्द्रीय सरकार से लिये ऋणों पर			67,89,931.52		32,34,589.05	
(ख) $5\frac{3}{4}\%$ कृषि पुनर्वित्त निगम बांड 1982 पर			30,74,709.00		—	
फुटकर देयताएं						
(क) भारत के बाहर से पूंजीगत माल खरीदने के संबंध में आस्थगित अदायगी पर दी गयी गारंटी के कारण			—		—	
(ख) दूसरी मदें			—		—	
जोड़			63,13,13,343.19		32,28,31,955.29	

एस० एस० बघु

मुख्य लेखापाल

बम्बई, 11 अगस्त 1970

इसी तारीख की संलग्न हमारी रिपोर्ट के अनुसार*

के० एस० अय्यर एण्ड कं०

सनदी लेखापाल

*परिशिष्ट सात देखिए

आठ

निगम

की तुलनपत्र (चालू)

आस्तियां	रु०	पै०	रु०	पै०	30 जून 1969 को रु०	पै०
आगे लाया गया			63,13,13,343.	19	32,28,31,955.	29
जोड़			63,13,13,343.	19	32,28,31,955.	29

पी० एन० डामरी — अध्यक्ष
के० माधव दास — प्रबंध निदेशक
टी० पी० सिंह, एम० आर० पटेल, एन० ए० कल्याणी, सी० डी० दाते — निदेशक

नई दिल्ली 6 अगस्त 1970

परिशिष्ट

कृषि पुनर्वित्त

30 जून 1970 को समाप्त हुए

	रु०	पै०	पिछले वर्ष रु०	पै०
1. अदा किया गया ब्याज	1,70,66,078.	19	44,18,972.	61
2. वेतन और भत्ते	18,31,959.	14	12,96,026.	81
3. कर्मचारी भविष्य निधि, पेन्शन और दूसरी निधियों में अंशदान	2,04,613.	79	1,37,358.	73
4. निदेशकों और समिति के सदस्यों की फीस	2,400.	00	1,900.	00
5. निदेशकों और समिति के सदस्यों को बैठकों के संबंध में यात्रा और दूसरे भत्ते	15,758.	90	12,977.	62
6. किराया, उपकर, बीमा, बिजली, आदि	2,05,474.	62	1,30,647.	14
7. यात्रा व्यय	1,99,146.	87	1,12,773.	76
8. छपाई और लेखन सामग्री	79,941.	66	39,524.	88
9. डाक, तार और टेलीफोन	39,508.	93	21,635.	43
10. संपत्ति की मरम्मतें	723.	44	1,947.	15
11. लेखा परीक्षकों की फीस	5,000.	00	5,000.	00
12. कानूनी व्यय	6,451.	00	16,952.	00
13. विविध व्यय	8,76,688.	76	84,107.	70
14. मूल्यह्रास	16,716.	09	11,075.	01
15. कराधान की व्यवस्था	37,00,000.	00	20,13,300.	00
16. तुलनपत्र में ले जाया गया वास्तविक लाभ	30,27,297.	34	21,38,115.	84
जोड़	2,72,77,758.	73	1,10,42,314.	68

एस० एस० बसु
मुख्य लेखापाल
बम्बई 11 अगस्त 1970

इसी तारीख की संलग्न हमारी रिपोर्ट के अनुसार*
के० एस० अय्यर एण्ड कंपनी
सनदी लेखापाल

*परिशिष्ट सात देखिए

नी

निगम

का लाभ-हानि लेखा

	रु० पै०	रु० पै०	पिछले वर्ष रु० पै०
1 प्राप्त ब्याज			
(क) ऋणों और डिबेंचरों पर	2,40,90,030.51		1,02,02,032.24
(ख) निवेशों पर (स्रोत पर काटा गया कर रु० 13,16,899.00)	30,34,715.16		8,38,683.40
		2,71,24,745.67	1,10,40,715.64
2. भांजन कमीशन, आदि			—
3. दूसरी मदें			
(क) शेयर अंतरण शुल्क	4.00		4.00
(ख) विविध प्राप्तियां	29.60		1,595.04
(ग) वायदा प्रभार	1,52,979.46		—
		1,53,013.06	1,599.04
जोड़		2,72,77,758.73	1,10,42,314.68

पी० एन० डामरी — अध्यक्ष

के० माधव दास — प्रबंध निदेशक

टी० पी० सिंह
एम० आर० पटेल
एन० ए० कल्याणी
सी० डी० दाले
} निदेशक

नई दिल्ली 6 अगस्त, 1970

STATE BANK OF INDIA

Central Office

Bombay, the 14th November 1970

SBS. No. 2/1970.—It is hereby notified for general information that, in pursuance of clause (c) of sub-section (1) of Section 25 of the State Bank of India (Subsidiary Banks) Act, 1959 the State Bank of India, in consultation with the Reserve Bank of India, hereby nominates Shri Pratap Singh Bapna, I.A.S. (Retired), 2, Race Course Road, North Tukoganj, Indore, as a Director of the State Bank of Indore for a term of three years from the 14th November, 1970 to the 13th November 1973 (inclusive) in the vacancy caused by the death of Shri Sohanlal G. Sanghi.

R. K. TALWAR
Chairman

INDUSTRIAL DEVELOPMENT BANK OF INDIA

Bombay, the 18th November 1970

In pursuance of Rule 4 of the Industrial Finance Corporation Rules, 1965, the Industrial Development Bank of India hereby notifies that the Corporation has, with the prior approval of the Development Bank, fixed the rate of interest to be charged by the Corporation on the rupee loans sanctioned or to be sanctioned by it at 9% (nine per cent) per annum subject to the grant of a rebate of interest at the rate of ½% (one half of one per cent) per annum for punctual repayment of principal and payment of interest (that is to say, net 8½% per annum).

In pursuance of Rule 4 of the Industrial Finance Corporation Rules, 1965, the Industrial Development Bank of India hereby notifies that the Industrial Finance Corporation of India has, with the prior approval of the Development Bank, fixed the rate of interest on the rupee loans to be sanctioned by the Corporation to projects in the backward districts/areas considered by the Central Government as eligible for concessional financial assistance from the Industrial Finance Corporation of India, at 7½% (seven and half per cent) per annum, subject to the grant of a rebate of interest at the rate of ½% (one half of one per cent) per annum for punctual repayment of principal and payment of interest (that is to say, an effective rate of seven per cent per annum).

Sd/- ILLEGIBLE
General Manager

EMPLOYEES' STATE INSURANCE CORPORATION

New Delhi, the 29th July 1970

No. 2-3(1)/68-*Estt.III.*—Whereas the Department of Labour and Employment, Government of India, New Delhi in pursuance of the provisions of clause (d) of section 4 of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), *vide* their Notification No. 3(2)/69-HI-iii, dated 8-7-1970 have notified Shri T. S. Gill as a member of the Employees' State Insurance Corporation in place of Shri B. K. Bhuyan with effect from 8-7-1970.

Therefore, in pursuance of section 25 of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948) read with regulation 10 of the Employees' State Insurance (General) Regulations, 1950, the following amendment is hereby made in the Employees' State Insurance Corporation Notification No. 2-3(1)/68-Estt.III, dated the 7th April, 1970 pertaining to the constiution of Regional Board, Assam Region, namely :—

In the said notification for the entry against item No. 9, the following entry shall be deemed to have been substituted with effect from 8-7-1970, namely :—

"Shri T. S. Gill,
Secretary to the Government of Assam,
Labour Department, Shillong."

The 18th September 1970

No. 6(11)/69-*Estt.III.*—Whereas the Delhi Administration has in pursuance of clause (c) of Sub-Regulation (1) of Regulation 10 of the Employees' State Insurance (General) Regulations, 1950, nominated Shri S. S. Sanzagiri, Deputy Labour Commissioner, Delhi Administration Delhi in place of Shri M. M. Khar;

Now, therefore, in pursuance of section 25 of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948) read with Regulation 10 of the Employees State Insurance (General) Regulations, 1950 the following amendments are hereby made in the Employees' State Insurance Corporation notification of even No. dated the 22nd June, 1970 pertaining to the constitution of Regional Board for Union Territory of Delhi, namely :—

(i) In the said notification for the entry against item No. 3, the following entry shall be substituted, namely :—

"3. Shri S. S. Sanzagiri, Deputy Labour Commissioner, Delhi.—Representative nominated by Delhi Administration."

(ii) In the said notification for the entry against item No. 4, the following entry shall be substituted, namely :—

"4. Director (Medical), Delhi, E.S.I. Scheme, ESIC Building, Kotla Road, New Delhi.—Officer directly incharge of the E.S.I. Scheme in Delhi—Ex-officio"

The 30th October 1970

No. 2(11)-1/68-*Estt.III.*—In pursuance of Section 25 of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), read with regulation 10 of the Employees' State Insurance (General) Regulations, 1950, the Chairman, Employees' State Insurance Corporation, hereby notifies under clause (ii) of Sub-Regulation (6) of Regulation 10 of the said Regulations that Shri C. G. Rama Rao, a member of the Regional Board, Mysore Region, shall cease to be a member of the said Regional Board from the date of issue of this notification and in his place nominates under clause (e) of Sub-Regulation (1) of Regulation 10, Shri C. M. Reddy to be a member of the Regional Board, Mysore Region and directs that the following further amendment shall be made in the notification of the Employees' State Insurance Corporation No. 2(11)-1/68-Estt.III, dated the 3rd June, 1969, namely :—

In the said notification for serial No. 5 and the entry relating thereto, the following shall be substituted namely.:—

"5. Shri C. M. Reddy,
President,
Mysore Chamber of Commerce,
Kampegowda Road,
Bangalore-9."

No. 2(2)-1/67-*Estt.III*—Whereas the State Government of Haryana in pursuance of clause (c) of Sub-Regulation (1) of Regulation 10 of the Employees' State Insurance (General) Regulations, 1950, nominated the Labour Commissioner, Haryana in place of Dr. P. N. Dugal;

Now, therefore, in pursuance of section 25 of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948) read

with Regulation 10 of the Employees' State Insurance (General) Regulations, 1950, the following further amendments are hereby made in the Employees' State Insurance Corporation Notification of even No. dated the 2nd March, 1970 pertaining to the constitution of Regional Board for Haryana, namely :—

(i) In the said Notification for the entry against item No. 3, the following entry shall be substituted namely :—

"3. Labour Commissioner, Government of Haryana, Chandigarh.—Representative nominated by the State Government."

(ii) The name against entry No. 10 should be read as "Shri Prem Das Sharma" *instead* of "Shri Prem Kumar."

The 20th November 1970

No. 1(1)-2/69-*Estt.I.*—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 97 read with Clause (XXI) of sub-section (2) and sub-section (2A) of that Section and sub-section (2) of Section 17 of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), the Employees' State Insurance Corporation hereby makes, with the approval of the Central Government, the following regulations further to amend the Employees' State Insurance Corporation (Recruitment) Regulations, 1965, namely :—

1. (1) These Regulations may be called the Employees' State Insurance Corporation (Recruitment) Amendment Regulations, 1970.

(2) These will come into force at once.

2. In Schedule 1 of the Employees' State Insurance Corporation (Recruitment) Regulations, 1965 :—

(1) Against Serial No. 4 under Colum 2, for the words "Regional Director Grade-II", the following words shall be substituted, namely :—

"Regional Director Grade II/Director (O&M and Training)"

(2) Against Serial No. 3 under Column 11, the words "Regional Director Grade-II with three years service in the Grade rendered after appointment thereto on a regular basis", shall be substituted by the following :—

"Regional Director Grade-II/Director (O&M and Training) with 3 years service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis".

(3) At the end of the foot notes of Schedule-I, the following shall be substituted, namely :—

N.B. :—The posts of Director (O&M) and Training) and Regional Director Grade-II are interchangeable.

T. C. PURI
Director General

EMPLOYEES' STATE INSURANCE CORPORATION NEW DELHI.

CORRIGENDUM

In the Employees' State Insurance Corporation Notification

No. 1(1)-11/66-Estt. I, dated 27-1-1970 published in Gazette of India No. 6, Part-III Section 4, dated 7-2-1970 at pages 66-72 :

For	Read
Notification "No.1-1/11/66-Ests.I" at pages 66.	'No. 1-1-11/66-Estt. I'
The word "Powtrs" appearing in first line at page 66	'powers'
The sentence "with 7 years service in the grades rendered after appointment thereto on a regular basis" appearing against Serial Nos. 5& 6 under Col. No. 11 at page 67.	(Separate para) "with 7 years service in the grades rendered after appointment thereto on a regular basis".
The words "Medical Referee" appearing against Sl. No. 7 under Col. No. 11 at page 69.	'Medical refernece'
The sentence commencing with "With 3 years service in the grades rendered after appointment thereto on a regular basis" appearing against Serial Nos. 8, 9, 13 & 14 under Col. No. 11 at pages 69 & 71.	(Separate para) "With 3 years service in the grades rendered after appointment thereto on a regular basis".
The sentence commencing with "With Accounts experience and 3 years service in the grades [illegible] there-[illegible]earing [illegible] No. 11.	(Separate para) "With Accounts experience and 3 years service in the grades rendered after appointment thereto on a regular basis".
The sentence commencing with the word "Desirable: ...." appearing against Serial No 12 under Col. No. 7 at page 70	(Separate para) "*Desirable* (i) Clinical experience in Medicine in teaching hospitals. (ii) Experience as a responsible Medical officer in a large industrial concern or Government/Quasi-Govt. Organisation/Corporation /Govt. Undertaking or any Local Body".
The words "Government Officers" occuring in col. No 7 of Serial No. 14 at page 70 under the heading "Desirable" against item No. (ii) ".	'Government Offices'
The sentence commencing with the words "Transfer on Deputation" appearing against Sl. No. 14 under Col. No. 11 at page 71.	(Separate para) 'Transfer on Deputaton'

R. S. Shukla
Administration Officer

MINISTRY OF LABOUR, EMPLOYMENT AND REHABILITATION

(Department of Labour & Employment)

Directorate-General of Mines Safety

Dhanbad, the 22nd October, 1970

No. Board/Met/11897/70 :—In pursuance of the provisions of Regulation 13 (4) of the Metalliferous Mines Regulations, 1961 the Byelaws for the conduct of examinations for and grant of Managet's Certificate of Competency (Published vide Notification No. Board /M. M./20000/63 dated the 24th june, 1963 are hereby modified and amended as follows:-

Sl. No.	Byelaw No.	Existing Byelaw	Amended Byelaw.
1	2	3	4
(1)	1 (4)	The practical experience of a candidate shall be approved only upto 60 days before the date of commencement of the examination.	The practical experience of a candidate shall be approved only up to 30 days before the date of commencement of the examination.

No. Board /Met /11898/70 :——In pursuance of the provisions of Regulation 13 (4) of the Metalliferous Mines Regulations, 1961 the Byelaws for the conduct of examinations for and grant of Manager's Certificate of Competency restricted to mines having opencast workings only (published vide Notification No. Board /MM /3497/67 dated the 5th, April, 1967) are hereby modified and amended as follows :——

Sl. No.	Byelaws No.	Existing Byelaw.	Amended Byelaw.
1	2	3	4
1.	1 (4)	The practical experience of a candidate shall be approved only upto 60 days before the date of commencement of the examination.	The practical experience of a candidate shall be approved only up to 30 days before the date of commencement of the examination

No. Board/Met/11899/70.—In pursuance of the provisions of Regulation 13(4) of the Metalliferous Mines Regulations, 1961 the Byelaws for the conduct of examinations for and grant of Surveyor's Certificate of Competency (Published vide Notification No. Board/MM/20001/63) are hereby modified and amended as follows :—

Sl. No.	Byelaw No.	Existing Byelaw	Amended Byelaw
1	2	3	4
1.	1	The practical experience of a candidate shall be approved only upto 60 days before the date of commencement of the examination.	The practical experience of a candidate shall be approved only upto 30 days before the date of commencement of the examination.

No. Board/Met/11900/70—In pursuance of the provisions of Regulation 13(4) of the Metalliferous Mines Regulations, 1961 the Byelaws for the conduct of examinations for and grant of Surveyors' Certificate of Competency Restricted to Mines having opencast workings only (Published vide Notification No. Board/MM/3498/67) are hereby modified and amended as follows :—

Sl. No.	Byelaw No.	Existing Byelaw	Amended Byelaw
1	1	The practical experience of a candidate shall be approved only upto 60 days before the date of commencement of the examination.	The practical experience of a candidate shall be approved only upto 30 days before the date of commencement of the examination.

R. G. DEO.
Chairman,
Board of (Metalliferous) Mining Examinations and Director General of Mines Safety

THE RESTRICTIVE TRADE PRACTICES (ENQUIRY) REGULATIONS, 1970

In exercise of the powers conferred on it by Sections 12, 18 and 66 of the Monopolies and Restrictive Trade Practices Act, 1969 (54 of 1969) and all other powers enabling it in this behalf, the Commission hereby makes the following regulations, namely :—

1. These Regulations may be cited as the Restrictive Trade Practices (Enquiry) Regulations, 1970 and shall come into force immediately.

2. The General Clauses Act, 1897 shall apply to the interpretation of these Regulations and words and expressions used but not defined in these Regulations shall have the meanings assigned to them in that Act.

3. In these Regulations unless the context otherwise requires—

(a) "the Act" means the Monopolies and Restrictive Trade Practices Act, 1969 (54 of 1969);

(b) "agreement" means an agreement of which particulars have been or are required to be registered under Section 35 of the Act;

(c) "Secretary" means the Secretary appointed by the Commission;

(d) Reference to a party to an agreement includes reference to any person deemed to be a party for the purposes of the Act:

(e) References to 'court' while applying the provisions of the C.P.C. shall be understood to refer to the Commission and similarly, references to "plaintiff" or "defendant" shall be understood to refer to parties;

(f) references to suits or petitions, shall be understood as references to the appropriate proceedings under the Act.

4. A complaint under Section 10(a)(i) of the Act shall contain the facts complained of which constitute a restrictive trade practice and where it is by any trade or consumer's association shall be signed by any office bearer of the association, and a complaint from 25 or more consumers shall be signed by everyone of the complainants. Every complaint shall be verified at the foot by the party or parties accquainted with the facts of the case. The person verifying shall specify what he verifies on his own knowledge and what he verifies upon information received and believed to be true. The verification shall be signed by the person or persons making it, and shall state the date on which and the place at which it was signed.

5. A reference made by the Central Government or a State Government shall similarly contain the facts which constitute a restrictive trade practice and shall be signed and verified by an officer of the Government not below the rank of a Deputy Secretary and shall be verified in the manner set out in regulation 4.

6. An application made under Section 10(a)(iii) by the Registrar shall contain the facts which constitute the restrictive trade practice and if it is in relation to any agreement registered with him, shall set out such portions of the agreement as may be necessary to bring out the facts complained of and shall be signed and verified by the Registrar in the manner referred to in Regulations 4.

Institution of Proceedings

7. Proceedings under Section 37(1) of the Act shall be initiated by a notice to the person against whom allegations of restrictive trade practice are made, stating that the Commission proposes to hold an inquiry into the practice.

8. A notice may relate to one agreement or to a number of agreements appearing to the Commission to be related in such a way as to make it desirable that they should be considered in the same proceedings.

9. A notice shall bear the Commission's seal and be signed by the Secretary and when returned after service shall be filed by the Secretary.

10. Subject to Regulation 13 the Commission shall cause a copy of the notice of reference to be served on all parties to the agreement, or agreements, to which the notice relates, and all such parties shall be respondents to the proceedings.

11. The Commission may, if it thinks fit, serve a copy of the notice on any trade association whose members or any of whose members are parties to any agreement to which the notice relates, notwithstanding that the association is not itself a party to any such agreement, and the trade association shall accordingly be made a respondent to the notice of reference; but this shall be without prejudice to any application under Regulation 13 for the representation of members of the association by the association.

12. The Commission shall direct that short particulars of the notice of hearing shall be published in such newspapers as the Commission may direct.

Representation Orders

13. Where a numerous class of persons have a common interest in the proceedings by reason that they are all parties to the same agreement or have entered into substantially similar agreements, the Commission may make an order (hereinafter referred to as "a representation order") that the class, or any members thereof, shall be represented by such representative respondents as the Commission may direct, who may be individual members of the class or a trade association or associations to which all or some of the members belong, or may be partly one and partly the other; and the procedure laid down under Order I, Rule 8, of the C.P.C. shall as far as possible may be applied in this matter as if it were incorporated in these Regulations.

Appearance of Parties

14. Every respondent who wishes to be heard in the proceedings shall, within fourteen days of the service upon him of the copy of notice of hearing, enter an appearance in the office of the Commission by delivering to the Secretary five copies of a memorandum stating that the respondent wishes to be heard in the proceedings and containing the name of his Advocate and an address in India at which documents may be served on him, and the Secretary shall thereupon send one copy of the memorandum, sealed with the seal of the Commission, to the Registrar.

Alteration of scope of proceedings, parties and venue

15. Where a notice of hearing applies to a number of agreements, any respondent may, within fourteen days of entering an appearance to the notice, apply to the Commission to exclude from the notice any agreement to which he is a party on the ground that the agreement is not related to the other agreements to which the notice applies, or is not related to some of those agreements, in such a way as to make it desirable that they should all be considered in the same proceedings, and the Commission may, on the hearing of the application, amend the notice by excluding any agreement or agreements therefrom, and shall give all such consequential directions as it considers necessary, including a direction that any respondent who is a party to the agreement in question be treated as if he had not entered an appearance; and the provisions of Order I, Rule 10(2), C.P.C. shall be applied as far as may be appropriate as if they were included in these Regulations.

Statement of case, Answer and Reply

16. Every respondent who has entered an appearance shall, within six weeks of his entry of appearance, deliver to the Registrar, and file with the Secretary a statement of his case (four copies), which shall include—

(a) particulars of the provisions of Section 38 of the Act on which he intends to rely;

(b) particulars of the facts and matters alleged by him to entitle him to rely on those provisions; and shall be accompanied by a list of all the documents relevant to the proceedings which are or have been in his possession or power; indicating for which (if any) of those documents he claims privilege and the grounds of the claim.

17. Without prejudice to the provisions of Regulation 29 relating to discovery, every respondent shall, within seven days after receiving notice in that behalf from the Registrar, produce for his inspection the documents specified in the list aforesaid, or such of them as may be specified in the notice, and shall permit him to make copies thereof;

Provided that nothing herein shall affect the right of a respondent of claim privilege for any of the said documents.

18. Where a statement of case is delivered, the Registrar shall deliver an answer within six weeks, after the time limit for the delivery of a statement of case by every respondent has expired. Where there is more than one respondent, the Registrar may deliver a joint answer, or separate answers to each or to some only of the respondents, with or without a joint answer to the remainder. A copy of every answer shall be delivered to the respondent or respondents to whose statement it is directed and four copies of these will be filed with the Secretary.

19. Where a respondent intends to rely on facts or matters which, if not raised, would be likely to take the Registrar by surprise or would raise issues of fact not arising out of the statement of case or answer, he shall, within twenty-eight days of the delivery of the answer, deliver a reply to the Registrar and file four copies thereof with the Secretary.

20. The provisions of Order XI C.P.C. shall as far as may be applied as if they had been included in these Regulations.

21. The Commission may, on the application of any party, strike out the whole or any part of a statement of case, answer or reply which appears to the Commission to be frivolous, vexatious or irrelevant and may in that event allow further time for the delivery of a fresh or amended statement of case, answer or reply and the provisions of Order VI, Rule 16, C.P.C. shall be applicable as if it were included herein.

Amendment of notice of reference, etc.

22. A notice of hearing, statement of case, answer or reply may be amended—

(a) at any time by leave of the Commission; and

(b) without such leave at any time before the hearing of the application for directions if—

(i) in the case of a notice of reference or answer, the Registrar and all respondents who have entered an appearance, or, as the case may be, to whose statement of case the answer is directed, agree; or

(ii) in the case of a statement of case or reply, the Registrar and all respondents seeking to amend agree;

and a copy of the notice or other document as amended shall be delivered to all opposite parties and filed with the Secretary within such time as may be allowed by the Commission or agreed between the parties concerned and the provisions of Section 153 C.P.C. shall also apply.

Joinder of parties and consolidation

23. The Registrar, and any respondent who has entered an appearance, may at any time apply to the Commission for an order that any person not already a party be added as a respondent to the proceedings, and shall give notice of the application to all other parties and to the person sought to be added and the provisions of Order I, C.P.C. as far as may be shall be applied to these proceedings.

Application for Directions

24. Not later than seven days after every respondent has delivered a reply or after the time for doing so has expired, the Registrar shall make an application (with three copies) to the Commission for directions, with a view to providing an occasion for the consideration of the preparations for the final hearing so that—

(a) all matters which can be dealt with on interlocutory applications and have not already been dealt with may, so far as possible, be dealt with; and

(b) such directions may be given as to the future course of the proceedings as appear best adapted to secure the just, expeditious and economical disposal thereof, and the Commission shall fix a date for the hearing of the application.

25. Not less than twenty-one days before the application for directions is due to be heard, the Registrar shall serve notice of the application on every respondent who has entered an appearance (with the exception of any respondent who has been debarred from taking any further part in the proceedings) and shall set out in his notice full particulars of the directions for which he intends to apply. A copy of the notice shall at the same time be filed with the Secretary.

26. Every respondent on whom notice is served under the last foregoing regulation shall, within fourteen days after service of the notice, serve on the Registrar a notice specifying any directions which he may desire in so far as they differ from those applied for by the Registrar and shall at the same time file a copy of the notice with the Secretary.

27. On the hearing of the application, the Commission shall give such directions as it considers necessary to secure the purposes mentioned in Regulation 24 and, without prejudice to the generality of the foregoing, may give such directions as it may think fit as to—

(a) the amendment of the notice of hearing or any statement of case, answer or reply;

(b) the delivery of further and better particulars;

(c) the delivery of interrogatories;

(d) the admission of any facts or documents;

(e) the discovery or further discovery of any documents;

(f) the admission in evidence of any documents;

(g) the mode in which evidence is to be given at the final hearing;

(h) the taking and recording of any evidence before the final hearing, including the appointment of a commissioner for that purpose;

(i) an investigation of the cost incurred by any respondent (or, as the case may be, any member of a class represented by a representative respondent) in producing or supplying any goods or in applying any process of manufacture to goods, and the manner in which the result of such investigation is to be brought before the Commission at the final hearing;

28. Any application subsequent to the application for directions and before the final hearing as to any matter capable of being dealt with on an interlocutory application, shall be made under the application for directions by two clear days' notice to the opposite party stating the ground on which it is made.

Notice to Produce Document and to Admit Documents and Facts-Discovery of Documents and Interrogatories.

29. Subject as provided for in Section 12(i)(b) of the Act, the provisions of Order XI, Order XII and Order XIII of the C.P.C. shall as far as may be applied as if they were included herein.

Interlocutory Applications

30. Except where these regulations otherwise provide or the Commission otherwise directs, every interlocutory application shall be made on not less than seven days' notice to the Registrar or, as the case may be, to every respondent concerned in the subject matter of the application, and the notice shall include particulars of the directions or order sought.

Evidence

31. Subject to the provisions of Section 12 of the Act, any fact required to be provided at the hearing shall be proved by the oral examination of the witnesses.

32. Without prejudice to the last foregoing regulation, the Commission may order that evidence of any particular fact shall be given at the final hearing in such manner as may be specified in the order and in particular—

(a) by statement on oath of information or belief;

(b) by the production of documents or entries in books;

(c) by copies of documents or entries in books;

(d) in the case of scientific, technical or statistical information relevant to the proceedings, by the production of specified scientific, technical, economic or trade publications or works of reference containing such information, and the provisions of Order XVI, C.P.C. shall, as far as may be, applied as if it were contained herein.

Final hearing

33. The final hearing shall take place in open court;

Provided that if the Commission is satisfied that it is in the public interest that the hearing or part thereof should not take place in open court or that evidence may be given as to a secret process of manufacture or as to the presence, absence or situation of any mineral or other deposits or as to any similar matter the publication of which would substantially damage the legitimate business interests of any person it shall, and may in any other case in which it appears proper to the Commission to do so, order that the hearing or such part thereof as the Commission may direct, shall take place in private.

34. If, on the hearing of the application, it appears to the Commission that the relevant provisions of the agreement and the circumstances of the case are substantially similar to those considered in previous proceedings before the Commission, it may direct that the issue be referred for determination in a summary way.

35. Where a direction has been given under the last foregoing regulation the Commission may at the hearing, unless it is satisfied that the relevant provisions of the agreement or the circumstances of the case differ in some material respect from the provisions and circumstances considered in the previous proceedings :

(a) determine the issue in a summary way without hearing evidence or on such evidence, whether oral or documentary, as it may think fit; and

(b) make any declaration or order which the Commission could have made under Section 37 of the Act if the issue had been determined after a final hearing in the ordinary way, or defer the making of any such declaration or order until all other issues in the proceedings have been disposed of.

Application under Section 13(2)

36. An application under Section 13(2) of the Act for amendment or revocation of any order made by the Commission in any proceedings shall be supported by evidence on affidavit of the material change in the relevant circumstances on which the applicant relies. Unless the Commission otherwise directs, notice of the application, together with copies of the affidavits in support thereof, shall be served on every party who appeared on the hearing of the previous proceedings and every such party shall be entitled to be heard on the application and the provisions of Section 114 C.P.C. and Order XLVII C.P.C. shall as far as may, be applied to these proceedings.

Costs

37. Where it appears to the Commission that any party has been guilty of unreasonable delay, or of improper, vexatious, prolix or unnecessary steps in any proceedings, or of other unreasonable conduct (including but without prejudice to the generality of the foregoing, a refusal to make any admission or agreement as to the conduct of the proceedings which he ought reasonably to have made), the Commission may make an order for costs against him.

38 The Commission may direct by whom the costs of a proceeding before it shall be paid and may authorise any one of its officers to tax the costs.

39. Any clerical mistake in any declaration or order of the Commission or error therein arising from any accidental slip or omission may at any time be corrected by the Commission either on its own motion or on the application of any party and the provisions of Section 152 C.P.C. may also be applied.

Service of Documents

40. Every notice or other document required by these regulations to be served on or delivered to any person may be sent by registered post at his address for service or, where no address for service has been given, at his registered office, principal place of business or last known address in India and service of it may be proved by the production of the addressee's receipt. Every notice or other document required to be delivered to or filed with the Secretary may be sent by registered post to the Secretary.

41. Any notice or other document required to be served on or delivered to a trade association may, if the association is not a body corporate, be sent to the Secretary, Manager, or other similar officer of the association.

42. The Commission may on the application of the Registrar, which may be made *ex parte*, give leave for the service of a notice of hearing outside India and may in that event give directions as to the mode of service and as to the extension of the time within which the respondent may enter an appearance and deliver a statement of his case.

43. The Commission may on the application of any party, which may be made *ex parte*, direct that service of any document be dispensed with or that service thereof be effected otherwise than in the manner provided by these regulations, including, without prejudice to the generality of the foregoing, the publication of notice thereof in such trade journal or other newspaper as the Commission may direct.

Miscellaneous

44. The time prescribed by these regulations or by order of the Commission for doing any act may be extended (whether it has already expired or not) or abriged by agreement or by order of the Commission.

45. The Central Office of the Commission shall be open at such times as the Chairman may direct.

46. Where the last day for doing of any act falls on a day on which the office of the Commission is closed and by reason thereof the act cannot be done on that day, it may be done on the next day on which the office is open.

47. Failure to comply with any requirement of these regulations shall not invalidate any proceedings unless the Commission so directs and, subject to the provisions of the Act and these regulations, the Commission shall have power to regulate its own procedure.

T. N. PANDEY
Deputy Secretary

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, FARIDABAD
AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1970